यौन अपराधों का पुलिस पंजीकरण

CHRI

AALI

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI) एक स्वतंत्र, गैर सरकारी, गैर लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और कार्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम और अक्करा, घाना में हैं। 1987 से, इसने राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकारों के मुद्दों से जुड़ी पैरोकारी की और उससे जुड़कर इसे गतिशील बनाए रखा। न्याय तक पहुंच (ATJ), सूचना तक पहुंच (ATI) को बढ़ावा देने की विशेषज्ञता के लिए इसे व्यापक रूप से जाना जाता है। एटीजे कार्यक्रम ने मनमानी पर लगाम लगाने और पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पुलिस और जेल सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया है। सीएचआरआई नीतिगत हस्तक्षेपों पर नज़र रखता है जिसमें विधिक उपचार, नागरिक समाज गठबंधन का निर्माण और हितधारकों के साथ जुड़ाव शामिल है। एटीआई समूचे भौगोलिक क्षेत्र में सूचना के अधिकार (RTI) और सूचना की स्वतंत्रता के कानूनों पर नज़र रखता है, विशिष्ट परामर्श उपलब्ध कराता है, चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालता है, पारदर्शिता के कानून और क्षमता विकास के व्यापक प्रयोग को संसाधित करता है। हम मीडिया और मीडिया के अधिकारों पर दबाव की समीक्षा करते हैं जबकि छोटे राज्यों के मामले में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और राष्ट्रमंडल सचिवालय पर दबाव बनाने के लिए नागरिक समाज की आवाज़ों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारे काम का एक नया क्षेत्र SDG 8.7 है जिसकी पैरवी, शोध और समूचे भौगोलिक क्षेत्र में लामबंदी दासता के समकालीन रूपों पर काबू पाने के लिहाज़ से तैयार की गई है।

सीएचआरआई को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त है और राष्ट्रमंडल सचिवालय इसे मान्यता देता है। सरकारों, प्रबंध निकायों और नागरिक समाज द्वारा अपनी विशेषज्ञता के लिए स्वीकृत सीएचआरआई भारत में सोसाइटी, घाना में ट्रस्ट और लंदन में लिमिटेड चैरिटी के बतौर पंजीकृत है।

यद्यपि राष्ट्रमंडल 53 देशों का संघ है, सदस्य देशों को साझा समान कानूनों का आधार प्रदान करता है लेकिन सदस्य देशों में मानवाधिकार के मुद्दों पर विशेष ध्यान बहुत कम था। इस प्रकार, 1987 में कई राष्ट्रमंडल पेशेवर संघों ने सीएचआरआई की स्थापना की।

अपने शोध, रिपोर्ट, पैरोकारी, वचनबद्धता, लामबंदी और सामयिक पड़तालों के माध्यम से सीएचआरआई सदस्य देशों में अधिकारों के मुद्दों पर प्रगति और असफलताओं पर ध्यान आकर्षित करता है। यह राष्ट्रमंडल सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों, मीडिया और नागरिक समाज को सम्बोधित करता है। यह सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रम, नीतिगत चर्चा, तुलनात्मक अनुसंधान, पैरोकारी और सूचना तक पहुंच और न्याय तक पहुंच के मुद्दों पर नेटवर्किंग के लिए काम करता है और सहयोग देता है।

सीएचआरआई मानवाधिकार के विश्वव्यापी घोषणपत्र, राष्ट्रमंडल हरारे के सिद्धान्तों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अन्य मानवाधिकार प्रपत्रों और मानवाधिकारों का समर्थन करने वाले घरेलू प्रपत्रों के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

अंतरराष्ट्रीय सलाहकार आयोग: एलिसन डक्सबरी, अध्यक्ष। सदस्यः वजाहत हबीबुल्लाह, जोना एवर्ट-जेम्स, एडवर्ड मोर्टिमर, सैम ओकुडज़ेटो और संजॉय हज़ारिका

कार्यकारी समिति (भारत): वजाहत हबीबुल्लाह, अध्यक्ष। सदस्यः किशोर भार्गव, बी के चंद्रशेखर, जयंतो चौधरी, माजा दारूवाला, नितिन देसाई, कमल कुमार, मदन बी. लोकुर, पूनम मुतरेजा, जैकब पुन्नूस, विनीता राय, एपी शाह और संजॉय हजारिका

कार्यकारी समिति (घाना): सैम ओकुडज़ेटो, अध्यक्ष। सदस्यः अकोटो एम्पा, वजाहत हबीबुल्लाह, कोफी क्वाशिगह, जूलिएट तुआकी और संजॉय हज़ारिका

कार्यकारी समिति (यूके): जुआना एवर्ट-जेम्स, अध्यक्ष। सदस्यः ओवेन ट्यूडर, हन्ना रैटक्लिफ, एम्मा केर, प्रलब बरुआ, और संजॉय हज़ारिका

संजॉय हज़ारिका, अंतरराष्ट्रीय निदेशक

© कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव 2020। स्रोत को स्वीकार करते हुए इस रिपोर्ट से सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है।

ISBN: 978-93-81241-95-0

सीएचआरआई मुख्यालय, नई दिल्ली
55ए, तीसरा तल,
सिद्धार्थ चैम्बर्स
कालू सराय, नई दिल्ली 110017
भारत
टेलिफोन: +91 11 4318 0200
फैक्सः +91 11 4318 0217
info@humanrightsinitiative.org

सीएचआरआई लंदन
रूम न. 219
स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडी,
साउथ ब्लॉक, सिनेट हाउस
मालेट स्ट्रीट, लंदन WCIE7HU
यूनाइटेड किंगडम
टेलिफोन: +91 11 4318 0200
फैक्सः +91 11 4318 0217
london@humanrightsinitiative.org

सीएचआरआई अफ्रीका, अक्करा
डॉ. स्टैनली मार्बल प्लाज़ा
हाउस नं. 158/2 असाइलम डाऊन अक्करा
टेलिफोन/फैक्सः +233 302 971170
chriafrica@humanrightsinitiative.org

www.humanrightsinitiative.org

एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव्स

एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव्स (आली) महिलाओं, बच्चों और अन्य वंचित समुदायों की सुरक्षा और विकास के लिए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, क्षमता निर्माण, शोध और पैरोकारी के माध्यम से महिला नेतृत्व में काम करने वाली और महिलाओं द्वारा संचालित मानवाधिकार संस्था है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड में ज़मीनी स्तर पर प्रत्यक्ष मौजूदगी के साथ आली पूरे भारत में विभिन्न मानवाधिकार संगठनों और समूहों को तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराती रही है।

1998 में स्थापित आली का वैचारिक ढांचा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सभी रूपों के उन्मूलन {एलिमिनेशन ऑफ ऑल फार्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमन (CEDAW) के संयुक्त राष्ट्र के कनवेंशन} में निहित है। आली "एक समतामूलक व्यवस्था" की कल्पना करती है जो "महिलाओं को बराबर के इंसान के रूप में मान्यता देती है और भारत के संविधान और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों द्वारा तय किए गए उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को बढ़ावा देती है और उसकी सुरक्षा करती है"।

नारीवादी दृष्टिकोण और मानवाधिकार नजरिए के आधार पर आली का मानना है कि कानून बदलाव की संभावना और सामाजिक न्याय के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, इस तरह यह एक बहु आयामी रणनीतिक ढांचे के साथ काम करती है जिसमें पैरोकारी, न्याय तक पहुंच और क्षमता निर्माण शामिल हैं।

आली
AALI

407, डॉ. बैजनाथ रोड,
न्यू हैदराबाद कॉलोनी,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226007
टेलिफोन: +91 522 2782 060
फैक्सः +91 522 2782 066
ई-मेल: aali@aalilegal.org

aalilegal

www.aalilegal.org

यौन अपराधों का पुलिस पंजीकरण

प्रक्रिया और पुलिस को जवाबदेह बनाने पर मार्गदर्शिका

अनुसंधान और लेखन

अदिति दत्ता, अंकुर ओटो और देविका प्रसाद

सम्पादन

संजॉय हज़ारिका और शुभांगी सिंह

प्रस्तुति और रूपरेखा

अनुजा खोखानी

अनुवाद

मसीहुद्दीन संजरी

लघुरूप सूची

आईपीसी	इंडियन पीनल कोड (भारतीय दंड संहिता)
एट्रॉसिटीज़ एक्ट	शेड्यूलशेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूलशेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़) एक्ट, अमेंडेड इन 1989 {अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 संशोधित 2015}
पॉक्सो	प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012 (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012)
एसजेपीयू	स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट (विशेष बाल पुलिस इकाई)
एनजीओ	नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशन (गैर सरकारी संगठन)
एफआईआर	फर्स्ट इनफॉरमेशन रिपोर्ट (प्रथम सूचना रिपोर्ट)
ओएससीसी	वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर
यूटीज़	यूनियन टेरीट्रीज़ (केंद्र शासित प्रदेश)
एससी/एसटी	शेड्यूल कास्ट ऑर शेड्यूल ट्राइब्स (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)
सीआरपीसी	कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (अपराध प्रक्रिया संहिता)
पीएफओ	पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर (पुलिस सुविधा केंद्र)
एसपी	सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस (पुलिस अधीक्षक)
डीसीपी	डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (पुलिस उपायुक्त)

विषय **तालिका**

परिचय 8

भाग A

हमारे कानूनों में यौन हिंसा और यौन अपराध

1. यौन हिंसा क्या है? 10
2. व्यापक अर्थ में यौन हिंसा के विभिन्न प्रकार क्या हैं? 11
3. क्या यौन हिंसा अपराध है? 11
4. क्या बच्चों की यौन अपराध से सुरक्षा के लिए भिन्न कानून हैं? 16
5. आईपीसी के अंतर्गत यौन हिंसा का पीड़ित और अपराधी कौन हो सकता है? 22
6. पॉक्सो के अंतर्गत यौन हिंसा का पीड़ित और अपराधी कौन हो सकता है? 22
7. क्या यौन अपराध की घटना होते ही पुलिस कार्रवाई कर सकती है? 22

भाग B

यौन अपराधों की रिपोर्ट करना

8. पुलिस को यौन अपराध की रिपोर्ट कौन कर सकता है? 24
9. क्या बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रिपोर्ट करने के नियम भिन्न हैं? 24
10. अगर संघर्षशील घटना के तुरंत बाद यौन अपराध की रिपोर्ट करने के योग्य नहीं है तो क्या होगा? 25
11. संघर्षशील अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस तक कैसे पहुंच सकती है? 26
12. क्या संघर्षशील यौन अपराध की रिपोर्ट करने के लिए किसी भी पुलिस स्टेशन से सम्पर्क कर सकता/सकती है? 28
13. क्या पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने जाते समय संघर्षशील को लिखित शिकायत लेकर जाना होता है? 28
14. क्या संघर्षशील पुलिस में रिपोर्ट करने से पहले अस्पताल जा सकता है? 29
15. वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स (OSCCs) क्या है और वे संघर्षशील की सहायता कैसे करते हैं? 30
16. रिपोर्ट करते समय अनुसूचित जातियों या जन जातियों (SC/ST) के समुदायों को क्या ध्यान में रखना चाहिए? 30
17. क्या अपराध की रिपोर्ट करने के इच्छुक मानसिक या शारीरिक रूप से (अस्थाई या स्थाई) विकलांग संघर्षशील की सहायता के लिए पुलिस को विशेष कदम उठाने पड़ते हैं? 31

भाग C

शिकायतों और प्रथम सूचना रिपोर्टों का पंजीकरण

18. प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है? 33
19. क्या पुलिस अपराध की शिकायत प्राप्त करने के बाद एफआईआर दर्ज न करने का चयन कर सकती है? 33
20. क्या पुलिस यौन अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच कर सकती है? 34
21. एफआईआर में क्या शामिल होना चाहिए? 34
22. एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को किन प्रक्रियाओं का पालन करना होता है? 36
23. क्या पॉक्सो अधिनियम और नियमों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने के लिए अतिरिक्त प्रक्रियाओं का पालन करना होता है? 38
24. क्या संघर्षशील को पंजीकरण के समय सहयोगी व्यक्तियों से सहायता लेने का अधिकार है? 39
25. क्या संघर्षशील को पंजीकरण के समय वकील रखने का अधिकार है? 39
26. क्या पुलिस आपकी शिकायत को झूठी शिकायत कहकर अस्वीकार कर सकती है? 40
27. क्या पुलिस संघर्षशील को शिकायत वापस लेने के लिए कह सकती है? 40
28. क्या पुलिस संघर्षशील से उनकी शिकायत में परिवर्तन करा सकती है? 41
29. क्या पुलिस स्टेशन में पुलिस आप से प्रतीक्षा करा सकती है? 41
30. क्या पुलिस के कहने पर आपको कभी भी सादे कागज़ पर हस्ताक्षर करना चाहिए? 42

भाग D

गैर पंजीकरण के लिए उपचार

31. अगर पुलिस स्टेशन में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आप क्या कर सकते हैं? 44
32. क्या आप अन्य प्राधिकरणों में शिकायत करा सकते हैं? 45
33. जिला एसपी या मजिस्ट्रेट को शिकायत में आप क्या जोड़ सकते हैं जो उपयोगी हो? 45
34. क्या एसपी/डीसीपी एफआईआर के पंजीकरण के बजाय जांच का आदेश दे सकते हैं? 46
35. एसपी/डीसीपी को आप शिकायत कैसे भेजें? 46
36. आप क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से कैसे सम्पर्क करें? 46
37. अगर पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई नहीं करती है तो वह क्या कर सकता है? 47

भाग E

गैर पंजीकरण के लिए पुलिस को जवाबदेह बनाना

38. क्या आपकी शिकायत को एफआईआर के रूप में दर्ज कराने में विफल रहने पर आप पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? 49
39. आईपीसी की धारा 166 सी क्या कहती है? 49
40. पॉक्सो अधिनियम की धारा 21(1) क्या कहती है? 50
41. अत्याचार अधिनियम की धारा 4 क्या कहती है? 51
42. किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? 51
43. क्या पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने में जोखिम हैं? 52

अनुबंध 55

परिचय

यह मार्गदर्शिका यौन हिंसा के संघर्षशील और ऐसे सभी लोगों की सहायता करने के लिए तैयार की गई है जो कानूनी प्रक्रिया के पहले चरण में अपराधों की रिपोर्ट करने और पुलिस द्वारा उनके पंजीकरण के प्रयास में मदद करते हैं। अध्ययनों और वास्तविक अनुभवों से पता चलता है कि संघर्षशील आघात, भय और नैतिक रूप से आकलन किए जाने, अक्सर पुलिस द्वारा विलम्ब करने या यौन हिंसा की शिकायत दर्ज करने से इनकार करने के कारण और दिक्कतें बढ़ने के डर से पुलिस के पास जाने से संकोच करते हैं। कानून पुलिस के लिए यौन हिंसा के उन सभी मामलों को पंजीकृत करने को अनिवार्य बनाता है जो उन्हें प्राप्त होते हैं। जब वे इनकार करते हैं तो वे संघर्षशील के न्याय पाने के अधिकार, कानून और अपने कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं। यह मामले को समझौते की ओर ले जाता है, गंभीर रूप से विलम्ब का कारण बनता है या यहां तक कि कानूनी प्रक्रिया के आरंभ में ही पराजित हो जाता है।

"बारंबार पूछे गए प्रश्न" के रूप में प्रस्तुत यह मार्गदर्शिका वयस्क और बाल संघर्षशील को शिकायत दर्ज कराने में सहायता की जानकारी प्रदान करती है। अगर उनकी शिकायत दर्ज करने से पुलिस स्टेशन में पहले इनकार किया जाता है तो यह उन्हें शिकायत दर्ज कराने के उपायों की जानकारी देती है। कुछ निश्चित मामलों में विलम्ब करने या दर्ज करने से इनकार करने के लिए पुलिस को जवाबदेह बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की ओर संकेत करती है। यह सम्बंधित कानूनों में यौन हिंसा के रूप में परिभाषित अपराधों को चिन्हित भी करती है।

संघर्षशील और समर्थकों को अपने अधिकारों के बारे में अवश्य जानना चाहिए ताकि कोई पुलिस अधिकारी शक्ति का अनुचित प्रयोग न करे और आंख में धूल झोंक कर बच न निकले। ऐसा केवल तभी हो पाएगा जब हम समझें कि हम विश्वास के साथ गलत और अवैधानिक कार्यवाहियों के खिलाफ बोल सकते हैं। इस मार्गदर्शिका को इसी आशा के साथ तैयार किया गया है कि संघर्षशील और उनके समर्थन में काम करने वाले प्रक्रियाओं और स्वयं उनके अपने अधिकारों के सही ज्ञान से सशक्त बनें और न्याय एवं अपने अधिकारों की रक्षा दोनों के लिए इसका प्रयोग करने का प्रयास करें।

भाग A

हमारे कानूनों में यौन हिंसा और यौन अपराध

1. यौन हिंसा क्या है[1]?

यौन हिंसा मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। इसके कई रूप हैं, यौन हिंसा का अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी इच्छा और सूचित सहमति के बिना अवांछित यौन गतिविधि के लिए विवश करता है, धूर्तता से राज़ी करता है या नुकसान पहुंचाता है। यौन हिंसा का प्रभाव हर लिंग और आयु के लोगों पर पड़ सकता है।

यौन दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति का दोस्त, परिवार का सदस्य, अंतरंगी साथी, सहकर्मी, अन्य भरोसेमंद व्यक्ति, पीड़ित पर अधिकार रखने की स्थिति वाले व्यक्ति या अंजान व्यक्ति हो सकते हैं। उत्पीड़क पीड़ित को विवश करने के लिए धमकियों का इस्तेमाल कर सकता है जैसे पीड़ित, उनके परिवार या उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने के लिए धमकी देना या उसे परेशान करने के लिए दूसरों को इसके बारे में बताना, या ऐसा दिखाने का प्रयास करना कि पीड़ित संकट में पड़ जाएगा/जाएगी। यह भी संभव है कि दो या उससे अधिक उत्पीड़क मिलकर पीड़ित/संघर्षशील को यौन सम्बंधी नुकसान पहुंचाने का काम करें।

> **विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे इस रूप में परिभाषित करता है, "पीड़ित से सम्बंध की परवाह किए बिना, किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी परिस्थिति में, जिसमें घर और काम भी शामिल है परंतु वहीं तक सीमित नहीं है, ज़बरदस्ती, नुकसान की धमकी या शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए यौन व्यवहार प्राप्त करने का प्रयास करना, अवांछित कामुक टिप्पणियां या पहल करना या व्यक्ति की कामुकता के अवैध व्यापार के कृत्य जैसी कोई भी यौन सम्बंधी गतिविधि"[2]।**

यौन हिंसा किसी भी परिस्थिति में हो सकती है। यह घर में, परिवार के भीतर, विवाह या अंतरंग सम्बंध में, समुदाय के भीतर जहां कुछ लोग रहते हैं, काम के स्थान पर या स्कूल या सार्वजनिक मार्ग या स्थान पर हो सकती है। ऐसा अक्सर युद्ध या संघर्ष के समय में भी होता है। ऐसा जब कभी भी या जहां कहीं भी होता है यह पीड़ित/संघर्षशील के लिए मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से अतिक्रमणात्मक और कष्टकर होता है।

यौन हिंसा कभी पीड़ित/संघर्षशील का दोष नहीं होती

2. व्यापक अर्थों में, यौन हिंसा के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

यौन हिंसा भेदक और गैर भेदक दोनों तरह का यौन हमला हो सकती है। भेदक यौन हमला तभी हो सकता है जब दुर्व्यवहार करने वाला पीड़ित की योनि, मलद्वार, मुख या पीड़ित के शरीर के किसी भी भाग में, थोड़ा सा भी, पीड़ित की मर्जी के खिलाफ शरीर का कोई अंग, गुप्तांग, या वस्तु भेदने के लिए ताकत का प्रयोग करता है।

कानून की शब्दावली में **बलात्कार** शब्द का प्रयोग किया जाता है जो भेदक यौन हमले को अपराध मानता है। गैर भेदक यौन हमले हो सकते हैं:

- अवांछित लैंगिक सम्पर्क या स्पर्श
- बिना सहमति के किसी अन्य को अपना जननांग या नग्न शरीर दिखाना
- सार्वजनिक रूप से हस्तमैथुन करना
- किसी को कपड़े उतारने पर विवश करना
- किसी की गतिविधियों की निगरानी करना या, शारीरिक या परोक्ष रूप से अवांछित और अप्रिय सम्पर्क के प्रयास में जहां तहां पीछा करना
- बिना जानकारी या अनुमति के किसी को निजी कार्य में घूर कर देखना या फोटो/वीडियो लेना
- किसी से अवांछित यौन अनुमोदन के लिए कहना या अवांछित यौन टिप्पणियां करना

3. क्या यौन हिंसा अपराध है?

> **हां, भारत में यौन हिंसा के कई रूप अपराध हैं। इसका अर्थ है अपराधी को न्यायालय द्वारा अगर इनमें से किसी अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे सज़ा दी जा सकती है और जेल भेजा जा सकता है।**

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) कई गतिविधियों को अपराध के रूप में परिभाषित करती है, प्रत्येक अपराध का नामकरण करती है, उन गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करती है जो अपराध हैं और उनके लिए दंड निर्धारित करती है।

याद रखें कि दो वयस्कों के बीच स्वेच्छा से की गई यौन क्रिया कभी अपराध नहीं है।

2013 से पहले, आईपीसी में केवल दो यौन अपराध शामिल थे। धारा 376 बलात्कार की सीमित परिभाषा के तहत दंडित करता था और धारा 354 “किसी महिला की लोकलाज को भंग करने के लिए” दंडित करता था जो छेड़छाड़ की केवल सामान्य घटनाओं पर लागू होता था, जिसका संदर्भ अवांछित सम्पर्क या पहलकदमी की गतिविधि होता है। 2013 से पहले तक, कई तरह की यौन हिंसा कानून से पूरी तरह गायब थी जिसका अर्थ होता था कि संघर्षशील पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज करा सकती थी।

2013 में, अन्य यौन अपराधों को परिभाषा में लाने के लिए कानून में संशोधन किया गया। 2013 के संशोधन अधिनियम में बलात्कार की परिभाषा का विस्तार किया गया और इसमें अन्य यौन अपराधों को लाया गया जिसमें यौन हिंसा के अन्य रूपों में यौन उत्पीड़न, जबरन नंगा करना, दृश्यरति, पीछा करना शामिल है।

यह तालिका 2013 में आईपीसी में परिभाषित किए गए और जोड़े गए यौन अपराधों की पूरी सूची और उनकी निर्धारित सज़ाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है।

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध और उनके दंड

धारा (आईपीसी)	अपराध	दंड	
		अधिकतम	न्यूनतम
354	महिला की लोकलाज भंग करने की नीयत से हमला करना या आपराधिक बल प्रयोग	5 साल की कैद और जुर्माना	1 साल की कैद और जुर्माना
254ए	अप्रिय शारीरिक सम्पर्क की प्रकृति में यौन उत्पीड़न और पहलकदमियां या यौन अनुमोदन की मांग करना, अश्लील चित्र दिखाना यौन रंजित टिप्पणियां करने की प्रकृति में यौन उत्पीड़न	3 साल कैद या जुर्माना या दोनों	1 साल की कैद या जुर्माना या दोनों
354बी	नंगा करने की नीयत से महिला पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना	7 साल कैद और जुर्माना	3 साल कैद और जुर्माना

354सी	वॉयवरिज़्म (दृश्यरति) कोई भी व्यक्ति जो निजी कार्य में व्यस्त किसी महिला को उसकी जानकारी के बिना देखता है या उसकी फोटो लेता है या ऐसे फोटो को प्रसारित करता है	3 साल कैद और जुर्माना	1 साल कैद और जुर्माना
	(अनुवर्ती दोष सिद्धि)	7 साल कैद और जुर्माना	3 साल कैद और जुर्माना
354डी	स्टॉकिंग (छिपकर पीछा करना) किसी महिला का अरूचि के उसके स्पष्ट संकेत के बावजूद बार बार पीछा करना या सम्पर्क करने का प्रयास करना (कानून में कुछ अपवाद स्पष्ट किए गए हैं जिनके साबित होने पर स्टॉकिंग नहीं माना जा सकता)		3 साल कैद और जुर्माना
	अनुवर्ती दोष सिद्धि	5 साल कैद और जुर्माना	
370ए	तस्करी किए गए बालक का शोषण	7 साल कैद और जुर्माना	5 साल कैद और जुर्माना
	तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण	5 साल कैद और जुर्माना	3 साल कैद और जुर्माना
375	बलात्कार जब कोई पुरुष अपना लिंग, शरीर का कोई भाग या वस्तु किसी महिला की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी सीमा तक बेधता है या मुंह का प्रयोग करता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है; विशेष परिस्थितियों में उसकी सहमति या असहमति के साथ	उम्र कैद और जुर्माना	7 साल कैद और जुर्माना

376	पुलिस अधिकारी, किसी लोक सेवक; सशस्त्र बलों के किसी सदस्य द्वारा; किसी व्यक्ति द्वारा जो जेल, रिमांड होम या हिरासत के अन्य स्थान या महिला या बच्चों के संस्थान के प्रबंधन में है या उसका कर्मचारी है; किसी अस्पताल के प्रबंधन का व्यक्ति या कर्मचारी; या रिश्तेदार, अभिभावक, अध्यापक या महिला के प्रति विश्वास या अधिकार वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार; या साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान बलात्कार; या जानबूझकर किसी गर्भवती महिला के साथ; 16 साल से कम आयु की महिला के साथ; सहमति देने में असमर्थ महिला के साथ बलात्कार करता है; शारीरिक या मानसिक विकलांग महिला के साथ बलात्कार करता है। बलात्कार करते समय गंभीर चोट पहुंचाता है, अपंग बनाता है या महिला का जीवन खतरे में डालता है; या बार बार उसी महिला का बलात्कार करता है।	उम्र कैद (उस व्यक्ति के शेष स्वाभाविक जीवन तक)	7 साल कैद और जुर्माना
376ए	बलात्कार के दौरान पहुंचने वाली चोट जो महिला की मृत्यु का कारण होना या स्थाई निष्क्रियता की हालत बनना	उम्र कैद (उस व्यक्ति के शेष स्वाभाविक जीवन तक) या मृत्युदंड	20 साल कैद
376बी	अलगाव के दौरान पत्नी के साथ पति द्वारा बिना सहमति के सम्भोग	7 साल कैद और जुर्माना	2 साल कैद और जुर्माना
376सी	किसी अधिकार वाले व्यक्ति द्वारा संभोग	10 साल कैद और जुर्माना	5 साल कैद और जुर्माना

376 डी	सामूहिक बलात्कार समान इरादे से समूह के रूप में सक्रियता के साथ महिला का एक या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार	उम्र कैद (उस व्यक्ति के शेष स्वाभाविक जीवन तक) और संघर्षशील को जर्माना अदा करना होगा	20 साल कैद और संघर्षशील को जुर्माना अदा करना होगा
376ई	बार बार अपराध करने वाले (376, 376ए, और 376डी के अंतर्गत)	उम्र कैद (उस व्यक्ति के शेष स्वाभाविक जीवन तक) या मृत्युदंड	
509	किसी महिला की लोकलाज को भंग करने की नीयत से कुछ कहना, इशारा करना या कार्य करना	3 साल कैद या जुर्माना	

भारत में अन्य कानून भी पीड़ितों/संघर्षशील को सुरक्षा देते हैं और विभिन्न प्रकार की यौन हिंसा का सामना करने पर उन्हें उपचार प्रदान करते हैं; जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और सुधार) अधिनियम 2013, पीड़ित पारितोषक योजना जैसी योजनाएं।

अनुसूचित जाति या जनजाति की महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (अत्याचार अधिनियम) के अंतर्गत भी अपराध या “अत्याचार” के तौर पर लागू होते हैं।

अनुसूचित जाति और जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत महिलाओं के विरुद्ध विशिष्ट अपराध और उनके दंड

धारा (आईपीसी)	अपराध	दंड	
		अधिकतम	न्यूनतम
3(1)(K)	अनुसूचित जाति या जन जाति की किसी महिला को किसी धार्मिक संस्था को समर्पित कर के देवदासी प्रथा का पालन करता है या बढ़ावा देता है	5 साल कैद	6 महीना कैद
3(1)(W) {I})	बिना सहमति के अनुसूचित जाति या जन जाति की महिला को जानबूझ कर स्पर्श करता है	5 साल कैद	6 महीना कैद
3(1)(W) {II})	अनुसूचित जाति या जन जाति की महिला के प्रति कामी प्रकृति के शब्दों का प्रयोग करता है या इशारा करता है	5 साल कैद	6 महीना कैद

नोट: अत्याचार अधिनियम भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी सज़ा दिए जाने का प्रावधान करता है। अगर अपराध एससी या एसटी के सदस्य के खिलाफ कारित किया गया है तो यह आईपीसी के तहत दस साल या उससे अधिक कैद की सज़ा वाले अपराधों के दंड को बढ़ाकर आजीवन कारावास कर देता है। हालांकि, सज़ा की बढ़ोतरी अधिकांश यौन अपराधों पर लागू नहीं होती जैसा कि अत्याचार अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है।

4. क्या बच्चों की यौन अपराध से सुरक्षा के लिए भिन्न कानून हैं?

हां, चूंकि यौन अपराध के वयस्क संघर्षशील की तुलना में बच्चों की आवश्यकताएं और परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं इसलिए 14

नवम्बर 2012 को बच्चों की यौन अपराधों से सुरक्षा अधिनियम, 2012 (POCSO) नाम से अलग कानून बनाया गया था। यह 18 साल से कम आयु के बच्चों की यौन अपराधों से सुरक्षा, उनके खिलाफ कारित किए गए यौन अपराधों की सज़ा देने का विशेष कानून है और बच्चों के बेहतरीन हित को ध्यान में रखते हुए नियमों का प्रावधान करता है।

कानून यह बात भी कहता है कि यौन गतिविधि के लिए सहमति की आयु 18 वर्ष है। इसका अर्थ होता है कि अगर 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा यौन सम्बंध बनाने या किसी यौन गतिविधि का चयन करता है तो कानून आयु के कारण इसे सहमति नहीं मानेगा।

यह तालिका पॉक्सो में परिभाषित बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों और उनके दंड को श्रेणीबद्ध करती है।

अपराध और उनके दंड
यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 (POCSO) के अंतर्गत

अपराध और उनका विवरण	दंड	
	अधिकतम	न्यूनतम
धारा 3	**धारा 4 (1)**	
भेदक यौन हमला शरीर का कोई अंग या वस्तु बच्चे के शरीर के अंदर घुसाना या बच्चे से किसी अन्य के साथ ऐसा करवाना; या बच्चे के गुप्तांगों (लिंग, योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी सीमा तक) में रखना, या बच्चे से किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाना	आजीवन कारावास और जुर्माना	दस साल कैद और जुर्माना
	धारा 4 (2) **16 से कम आयु के किसी बच्चे पर**	
	शेष स्वाभाविक जीवन के लिए कैद और जुर्माना	20 साल कैद और जुर्माना
	धारा 4 (3) उप–धारा (1) के अंतर्गत लगाया गया जुर्माना उचित और तर्कसंगत होगा और चिकित्सीय एवं पुनर्वास व्यय की भरपाई के लिए पीड़ित को अदा किया जाएगा।	

धारा 5

अति गंभीर भेदक यौन हमला

पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बलों के सदस्य, लोक सेवक, रिमांड होम, जेल, अस्पताल या स्कूल के कर्मचारी द्वारा भेदक यौन हमला। इसमें शामिल हैं: किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से सामूहिक भेदक हमला, घातक हथियारों, आग, जलती सामग्री या क्षयकारी सामग्री का इस्तेमाल करते हुए भेदक यौन हमला, ऐसा भेदक यौन हमला जो बच्चे को शारीरिक रूप से अपंग बना देता है या बच्चे के मानसिक रूप से बीमार हो जाने का कारण बनता है, गंभीर चोट या शारीरिक क्षति और बच्चे के गुप्तांगों को चोट पहुंचाता है, बच्ची को गर्भवती करता है, बच्चे को एचआईवी या किसी अन्य जानलेवा बीमारी से संक्रमित करता है, एक से अधिक बार भेदक यौन हमला, किसी रिश्तेदार, बच्चों को सेवाएं प्रदान करने वाले किसी संस्थान के मालिक/प्रबंधक या कर्मी द्वारा, बच्चे पर विश्वास या अधिकार की हैसियत वाले किसी व्यक्ति द्वारा 12 साल से कम आयु के बच्चे पर भेदक यौन हमला, जानते हुए कि बच्ची गर्भवती है उस पर भेदक यौन हमला करता है, यौन अपराध के लिए पहले दोषी करार दिए जा चके व्यक्ति द्वारा बच्चे की हत्या का प्रयास, साम्प्रदायिक या जातीय हिंसा के दौरात भेदक यौन हमला, भेदक यौन हमला और बच्चे के कपड़े उतरवाना या सार्वजनिक रूप से नंगा घुमाना

धारा 6 (1)

शेष स्वाभाविक जीवन के लिए कैद और जुर्माना या मृत्युदंड

20 साल कैद और जुर्माना

धारा 6 (2)

उप–धारा (1) के अंतर्गत लगाया गया जुर्माना उचित और तर्कसंगत होगा और चिकित्सीय एवं पुनर्वास व्यय की भरपाई के लिए पीड़ित को अदा किया जाएगा।

धारा 7

यौन हमला

कामी इरादे से बच्चे के गुप्तांग (योनि, लिंग, गुदा या छाती) को छूना, या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के गुप्तांगों को बच्चे से छुआता है या कामी इरादे से

धारा 8

5 साल कैद और जुर्माना

3 साल कैद और जुर्माना

कोई अन्य काम करता है जिसमें गैर भेदक शारीरिक सम्पर्क शामिल है।		
धारा 9 **अति गंभीर यौन हमला** पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बलों के सदस्य, लोक सेवक, रिमांड होम/जेल/अस्पताल/स्कूल आदि के कर्मचारी द्वारा यौन हमला; और बच्ची को गर्भवती बनाने के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा धारा 5 में उल्लिखित यौन हमले की कोई भी गतिविधि	**धारा 10** 7 साल कैद और जुर्माना	5 साल कैद और जुर्माना
धारा 11 **यौन उत्पीड़न** कामी इरादे के साथ: (i) कुछ कहता है या कोई आवाज़ निकालता है या कोई इशारा करता है या कोई वस्तु या शरीर का कोई अंग इस इरादे के साथ दिखाता है कि बच्चे द्वारा ऐसी बात या आवाज़ सुनी जाएगी या ऐसा इशारा देखा जाएगा; या (ii) किसी बच्चे से उसके शरीर या उसके किसी भाग को प्रदर्शित कराता है ताकि ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जाए; या (iii) किसी बच्चे को अश्लील उद्देश्यों के लिए कोई वस्तु प्रत्यक्ष रूप से या किसी भी रूप या माध्यम से दिखाता है: या (iv) किसी बच्चे का लगातार पीछा करता है, घूर कर देखता है या सीधे तौर पर इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या किसी अन्य तरीके से सम्पर्क करता है; या (v) इलेक्ट्रॉनिक, फिल्म या डिजिटल या किसी अन्य माध्यम से, बच्चे के शरीर के किसी भाग का वास्तविक या मनगढ़ंत चित्रण, या यौन गतिविधि में	**धारा 12** 3 साल कैद और जुर्माना	

संलिप्तता के लिए मीडिया के किसी भी रूप में प्रयोग की धमकी देता है; या

(vi) बच्चे को अश्लील उद्देश्यों के लिए प्रलोभन देता है

अन्य अपराध

अपराध और उनका विवरण	दंड	
	अधिकतम	न्यूनतम
धारा 13 जो कोई भी, बच्चे का मीडिया के किसी भी रूप में (जिसमें कार्यक्रम या विज्ञापन शामिल है, इसकी परवाह किए बिना कि ऐसा कार्यक्रम या विज्ञापन व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए अभिप्रेत है) यौन आनंद के उद्देश्यों के लिए उपयोग करता है, जिसमें शामिल हैं– (i) किसी बच के यौन अंगों का प्रकाशन; (ii) वास्तविक या प्रेरित यौन क्रियाओं में शामिल किसी बच्चे का उपयोग (भेदन या बिना भेदन); (iii) किसी बच्चे का अभद्र या अश्लील निरूपण	**धारा 14 (1)** (2) जो कोई भी उपधारा (1) के अंतर्गत किसी बच्चे का अश्लील उद्देश्यों के लिए उपयोग करता है वह प्रत्यक्ष रूप से अश्लील क्रियाओं में भाग लेकर धारा 3 या धारा 4 या धारा 5 या धारा 7 या धारा 9 में उल्लिखित अपराध कारित करता है, उसे उक्त अपराध के लिए उप–धारा (1) में प्रावधान किए दंड के अतिरिक्त क्रमशः धारा 4, धारा 6, धारा 8 और धारा 10 के अंतर्गत भी दंडित किया जाएगा।	**पहली बार अपराध** **सिद्धि:** 5 साल और जुर्माना **अनुवर्ती अपराध** **सिद्धि:** 7 साल और जुर्माना
धारा 15 **बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री का भंडारण** (1) कोई भी व्यक्ति जो बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भंडारण या स्वामित्व रखता है लेकिन बाल अश्लीलता को साझा करने या प्रसारित	**धारा 15 (1)**	**पहली बार अपराध** **सिद्धि:** 5,000 रूपया जुर्माना

करने के इरादे से वह उसे हटाने, नष्ट करने या निर्दिष्ट प्राधिकरण को उसकी रिपोर्ट करने में विफल रहता है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(2) कोई व्यक्ति किसी भी रूप में ऐसी अश्लील सामग्री का रिपोर्टिंग के उद्देश्यों या न्यायालय में बतौर साक्ष्य प्रयोग करने को छोड़कर, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, किसी भी तरीके से किसी भी समय प्रसारित करने या प्रचारित करने या प्रदर्शित करने या वितरित करने के लिए भंडारण करता है या स्वामित्व रखता जिसमें कोई बच्चा शामिल है,

(3) कोई व्यक्ति जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए किसी भी रूप में अश्लील सामग्री का भंडारण करता है या स्वामित्व रखता जिसमें कोई बच्चा शामिल है

अनुवर्ती अपराध सिद्धि: 10,000 रूपया जुर्माना

धारा 15 (2)

3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों

धारा 15 (3)

प्रथम अपराध सिद्धि:

5 साल कैद या जुर्माना या दोनों	3 साल कैद या जुर्माना या दोनों

दूसरा या अनुवर्ती अपराध सिद्धि:

7 साल कैद और जुर्माना	5 साल कैद और जुर्माना

नोट – पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 के अनुसार अगर कोई उन अपराधों के लिए जो आईपीसी की धाराओं 166A, 354A-D, 370, 370A, 375, 376, 376A, 376C-E और 509 के अंतर्गत भी दंडनीय हैं, दोषी पाया जाता है तो अपराधी को पॉक्सो या आईपीसी के अंतर्गत, जिसमें अधिक सज़ा का प्रावधान है, सज़ा दी जाएगी।

5. आईपीसी के अंतर्गत यौन हिंसा का पीड़ित और अपराधी कौन हो सकता है?

अधिकांश यौन अपराध **लिंग विशेष** आधारित होते हैं इसलिए वे पीड़ित के रूप में महिलाओं और अपराधी के बतौर पुरुषों पर लागू होते हैं। लेकिन कुछ **लैंगिक रूप से तटस्थ होते हैं,** मिसाल के तौर पर मानव तस्करी और एसिड हमला। जब अपराध लैंगिक रूप से तटस्थ होते है तो पुरुष या महिला कोई भी पीड़ित या अपराधी हो सकते हैं।

6. पॉक्सो के अंतर्गत यौन हिंसा का पीड़ित और अपराधी कौन हो सकता है?

पॉक्सो के अंतर्गत केवल कोई बच्चा पीड़ित[3] हो सकता है और वयस्क अपराधी। यह लैंगिक रूप से तटस्थ है। लड़की और लड़का दोनों पीड़ित हो सकते हैं जबकि पुरुषपुरुष और स्त्री दोनों अपराधी हो सकते हैं।

7. क्या यौन अपराध की घटना की सूचना पाते ही पुलिस कार्रवाई कर सकती है?

हां, आईपीसी और पॉक्सो[4] दोनों के अंतर्गत। यौन हिंसा संज्ञेय अपराध हैं, इसका मतलब यह कि उनको गंभीर अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो पुलिस को त्वरित कार्रवाही की अनुमति देते हैं, बिना स्थानीय न्यायधीश, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, से पूर्व अनुमति प्राप्त किए जैसा कि छोटे अपराधों में पुलिस को करना पड़ता है। पुलिस मामला दर्ज कर सकती है, जांच आरंभ कर सकती है और बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है।

भाग B

यौन अपराधों की रिपोर्ट करना

8. पुलिस को यौन अपराध की रिपोर्ट कौन कर सकता है?

> **कोई भी व्यक्ति जिसे यौन अपराध कारित किए जाने की सूचना है वह रिपोर्ट करने के लिए पुलिस से सम्पर्क कर सकता है। इसमें किसी भी आयु के पीड़ित, अपराध के गवाह, या कोई अन्य जिसके पास कोई विश्वसनीय जानकारी कि यौन अपराध घटित हुआ है, शामिल हैं।**

ज़रूरी नहीं है कि पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए आप ने इसे घटित होते हुए देखा हो या पीड़ित हों। जो कोई भी अपराध की रिपोर्ट करता है उसे ईमानदारी से रिपोर्ट करना चाहिए झूठे दावे नहीं करने चाहिए।

जहां तक संभव हो, अनुशंसा की जाती है कि संघर्षशील पुलिस को अपराध की रिपोर्ट करे।

9. क्या बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रिपोर्ट करने के नियम भिन्न हैं?

हां, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के सभी मामले रिपोर्ट किए जाते हैं पॉक्सो अधिनियम के तहत बाल अधिकारों के दृष्टिकोण से विशेष प्रक्रियाएं हैं।

अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति (बच्चे के अतिरिक्त) को जिसे या तो यह जानकारी है कि किसी बच्चे के खिलाफ यौन अपराध की घटना हो सकती है या अपराध कारित किया गया है उसे इसके बारे में स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट (SJPU) या स्थानीय पुलिस को अवश्य सूचित करना चाहिए।

धारा 20 के अंतर्गत, मीडिया, होटल, लॉज, अस्पताल या स्टूडियो, या फोटोग्राफी की सुविधाओं के किसी कर्मचारी पर बाध्यकारी है कि अगर उन्हें कोई ऐसी सामग्री प्राप्त होती है जिससे बच्चे का यौन शोषण होता है तो उसकी जानकारी एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस को दें।

धारा 21 के अंतर्गत, किसी बच्चे के खिलाफ यौन अपराध की सूचना देने में विफल रहने वाले किसी व्यक्ति को कैद की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर कोई नियोक्ता बच्चे के खिलाफ अपने लिए काम करने वाली/वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा यौन अपराध की रिपोर्ट नहीं करता है (जैसा कि धारा 19 और 20 में कहा गया है) उसे कैद और जुर्माना की सज़ा दी जा सकती है।

10. अगर संघर्षशील घटना के तुरंत बाद यौन अपराध की रिपोर्ट करने के योग्य नहीं है तो क्या होगा?

यौन हिंसा के आघात से गुज़रने वालों की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। हो सकता है कि घटना के तुरंत बाद संघर्षशील पुलिस से सम्पर्क करने योग्य न हो, इसे समझा जा सकता है। आशा की जाती है कि प्रत्येक संघर्षशील का कोई ऐसा होता है जिस पर वह विश्वास करे या बात करे - कोई गैर सरकारी संगठन (NGO), सक्रियतावादी, वकील, परिवार का सदस्य, या कोई अन्य विश्वस्त - ताकि वे अकेला और अधिक असुरक्षित महसूस न करें।

जहां तक संभव हो, रिपोर्ट करने में बहुत अधिक विलम्ब से बचना बेहतर है। जल्दी रिपोर्ट करने से विवरणों को याद रखने की संभावना तीव्र होती है। शारीरिक या भौतिक साक्ष्य को जुटाया जा सकता है। इस प्रकार के कारक अपराधी को पकड़ने और दंडित करने की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। जल्दी करने से आवश्यक चिकित्सा देखभाल, किसी तरह की चोट या तकलीफ पर ध्यान दे पाना भी महत्वपूर्ण होता है।

> **अगर संघर्षशील पुलिस से सम्पर्क करने में समय लेता/लेती है तो ज़रूरत पड़ने पर संघर्षशील किसी विश्वसनीय समर्थन (एनजीओ, सक्रियतावादी, वकील या भरोसे के व्यक्ति) की मदद से घटना का लिखित विवरण रिकॉर्ड करने का रास्ता निकालना चाहिए। इसमें तारीख, समय और विवरण, घटना के बाद जितनी जल्दी संभव हो, शामिल होने चाहिए। इसे ईमेल या पंजीकृत डाक से तारीख के मज़बूत साक्ष्य के तौर पर किसी विश्वसनीय रिश्तेदार या दोस्त द्वारा भेजा जाना चाहिए। तारीख के किसी सबूत[5] के साथ किसी जाहिरी चोट का फोटो लिया जाना चाहिए।**

अगर उपलब्ध हों तो लिखित विवरण और चोटों के फोटो वाले आवश्यक साक्ष्य सुनिश्चित करना, संघर्षशील के दृष्टिकोण से अपराध के तथ्यों और विवरणों के आरंभिक स्मरण को खोए बिना संघर्षशील को न्यायिक प्रणाली तक पहुंचने में समर्थ बनाएगा।

जब संघर्षशील घटना के बाद समय बीत जाने पर पुलिस को अपराध की रिपोर्ट करता है तो पुलिस को विलम्ब का कारण भी बताया जाना चाहिए।

11. संघर्षशील अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस तक कैसे पहुंच सकता है?

पुलिस को संघर्षशील कई तरीके से रिपोर्ट कर सकता है:

1

व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन या बीट चौकीचौकी पर जाकर

कुछ राज्यों में सर्व-महिला पुलिस स्टेशन होते हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनमें महिलापुलिस द्वारा (शिकायत) प्राप्त और दर्ज की जाती है और जहां संभव होता है विवेचना की जाती है। संघर्षशील और उनके सहयोगी व्यक्ति पता कर सकते हैं कि उनके राज्य में सर्व-महिला पुलिस स्टेशन है या नहीं या स्थानीय पुलिस उन्हें बता देगी।

2

पुलिस नियंत्रण कक्ष (100) या विशेष हेल्पलाइन (यदि उपलब्ध है), या अगर प्रयोज्य है तो बाल हेल्पलाइन (1098) पर कॉल कर के

स्थानीय पुलिस स्टेशन पर कॉल कर के (या यदि प्रयोज्य है तो सर्व-महिला पुलिस स्टेशन पर)

3

ईमेल या पोस्ट द्वारा लिखित शिकायत भेज कर के

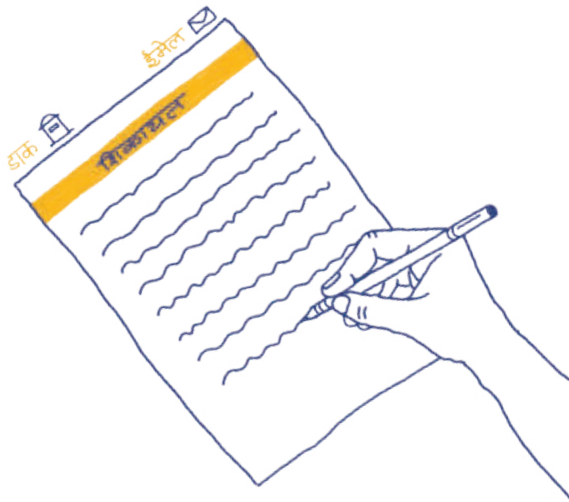

रिपोर्ट करने का जो भी तरीका अपनाया जाए, संघर्षशील को शिकायत दर्ज कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन जाना होगा।

पुलिस नियंत्रण कक्ष या समर्पित हेल्पलाइन नम्बर पर कॉल करने पर वाहन में एक पुलिस टीम को संघर्षशील के सटीक ठिकाने पर पहुंचना चाहिए, संघर्षशील को हटाना और अधिक नुकसान से बचाना चाहिए और अगर ज़रूरत है तो संघर्षशील को चिकित्सीय सहायता के लिए ले जाना चाहिए। स्थानीय पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों को भी मामला दर्ज करने में सहायता करने के लिए पहुंचना चाहिए। पुलिस वाहन की सेवा मुख्य रूप से नगरों और नगरीय क्षेत्रों प्रदान की जाती है।

निकटतम बीट चौकी पर जाने पर चौकी प्रभारी को अपने निर्धारित रजिस्टर में जानकारी रिकॉर्ड करनी चाहिए और तत्काल स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करना चाहिए और शिकायत अग्रेसित करना चाहिए। चौकी प्रभारी को संघर्षशील को बताना चाहिए कि किस पुलिस स्टेशन को शिकायत अग्रेसित की गई है और यह कि पुलिस स्टेशन में कर्मचारी शिकायत दर्ज करेंगे और विवेचना के लिए विवेचना अधिकारी निर्धारित किया जाएगा।

अगर संघर्षशील यौन अपराध की रिपोर्ट करने के लिए बाल हेल्पलाइन पर कॉल करता/करती है तो हेल्पलाइन को तत्काल एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस[6] को जानकारी देनी होती है।

12. क्या संघर्षशील यौन अपराध की रिपोर्ट करने के लिए किसी भी पुलिस स्टेशन से सम्पर्क कर सकता है?

आदर्श रूप में, बेहतर यही होता है कि जिस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में अपराध घटित हुआ उसी पुलिस स्टेशन में अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराई जाए क्योंकि यही पुलिस स्टेशन अपराध की जांच करेगा। संघर्षशील को यह जानने की आवश्यकता होगी कि अपराध किस पुलिस स्टेशन में पड़ता है और उसे प्रमाणित करने के लिए परामर्श ले सकता है (उदाहरण स्वरूप किसी एनजीओ या सहयोगी व्यक्ति से)।

हालांकि, यह जानना महत्वपूर्ण है कि कोई भी पुलिस स्टेशन अपराध की रिपोर्ट करने से किसी व्यक्ति को मना नहीं कर सकता।

> **अगर संघर्षशील अपराध कारित होने वाले स्थान से बाहर के अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन जाता है, तो पुलिस को शिकायत दर्ज करनी होती है जिसे "ज़ीरो एफआईआर" कहा जाता है और सुनिश्चित करना होता है कि इसे अधिकार क्षेत्र[7] वाले पुलिस स्टेशन को अग्रेसित कर दिया गया है।**

13. क्या पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने जाते समय संघर्षशील को लिखित शिकायत लेकर जाना होता है?

संघर्षशील के लिए रिपोर्ट करते समय हाथ में लिखित शिकायत लेकर जाना अनिवार्य नहीं है। संघर्षशील अपने अनुभव का ब्योरा देते हुए मौखिक रूप से भी शिकायत कर सकता है। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के तौर पर संघर्षशील द्वारा दी गई जानकारी को लिखना पुलिस के लिए बाध्यकारी है।

हालांकि, अगर संघर्षशील पहले ही लिखित शिकायत तैयार कर सकता है (किसी भी आवश्यक विश्वसनीय सहयोग के माध्यम से) यह संघर्षशील के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बना देगा। यह सुनिश्चित कर सकता है कि संघर्षशील के दृष्टिकोण से सभी प्राथमिक तथ्यों का लिखित विवरण पहले ही तैयार है।

अगर उनके पास लिखित शिकायत है और संघर्षशील उसकी दो प्रतियां लेकर जाता है तो उससे सहायता

मिलेगी। शिकायत दर्ज करने के भाग के रूप में सम्बंधित पुलिस अधिकारी आदर्श रूप में शिकायत की एक प्रति संलग्न करेगा जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) कहा जाता है, जो अपराध की शिकायत दर्ज होने का प्रतिनिधित्व करने वाला विधिक दस्तावेज़ है (निम्न में विस्तार से बताया गया है)।

अगर पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं करती है और संघर्षशील से अगले दिन फिर आने को कहती है तो संघर्षशील को उस निश्चित तिथि में पुलिस स्टेशन द्वारा प्राप्त की गई मुहर और तारीख के साथ शिकायत की एक प्रति मांगनी चाहिए और वह संघर्षशील को वापस दी जानी चाहिए। पुलिस ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है लेकिन संघर्षशील के लिए उसे मांगना बेहतर है। पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत जमा करने का साक्ष्य आवश्यकता पड़ने पर अगली कानूनी कार्रवाई जारी रखने में संघर्षशील के लिए उपयोगी होगा।

14. क्या संघर्षशील पुलिस में रिपोर्ट करने से पहले अस्पताल जा सकता है?

हां, यौन हिंसा के संघर्षशील के स्वास्थ्य पर कई प्रकार के अल्प या दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते हैं। किसी संघर्षशील को केवल इसलिए उचित स्वास्थ्य सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे तुरंत पुलिस से सम्पर्क करने की स्थिति में नहीं हैं। वास्तव में, कानून सभी अस्पतालों के लिए मुफ्त प्राथमिक चिकित्सीय सहायता या चिकित्सीय उपचार प्रदान करने को अनिवार्य बनाता है, एसिड हमला या बलात्कार के संघर्षशील की निःशुल्क चिकित्सीय देखभाल का प्रावधान करता है। पुलिस को सूचित करना भी अस्पतालों का विधिक कर्तव्य है[8]।

बाल संघर्षशील के मामले में, अगर उन्हें चिकित्सीय देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, अपराध कारित होने की रिपोर्ट होने के 24 घंटे के भीतर एसजीपीयू की बालक को निकटतम अस्पताल में ले जाने की जिम्मेदारी है[9]।

15. वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स (OSCs) क्या है और वे संघर्षशील की सहायता कैसे करते हैं?

वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स को किसी भी तरह की हिंसा से प्रभावित महिलाओं और 18 साल से कम आयु की लड़कियों को सहयोग देने के लिए बनाया गया है। वे संघर्षशील को एक ही छत के नीचे चिकित्सीय, कानूनी, मनोवैज्ञानिक, और परामर्श सहयोग और आश्रय की समन्वित सेवाएं प्रदान करते हैं[10]।

28 राज्यों और 5 केंद्र शासित राज्यों[11] में करीब 556 केंद्र हैं। चूंकि वे अब तक सभी जनपदों या सभी राज्यों में काम नहीं कर रहे हैं, किसी ओएससी तक पहुंच इस बात पर निर्भर करेगी कि संघर्षशील कहां पर है।

संघर्षशील की शिकायत की रिपोर्ट करने के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स पुलिस से सम्पर्क और प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के प्रयास में मदद कर सकते हैं[12]। प्रत्येक ओएससी का एक प्रबंधक होगा जो संघर्षशील के लिए पहला सम्पर्क केंद्र होगा।

16. रिपोर्ट करते समय अनुसूचित जातियों या जन जातियों (SC/ST) के समुदायों को क्या ध्यान में रखना चाहिए?

एससी/एसटी समुदाय के संघर्षशील के साथ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पहचान आधारित अत्याचार किया गया है जो उनकी जाति/जनजातीय पहचान का नहीं है, यह बताना महत्वपूर्ण है कि उसका सम्बंध किस जाति/जनजाति से है। वे आगे सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब पुलिस शिकायत दर्ज करे तो उसके द्वारा इस विवरण को रिकॉर्ड किया जाए। अगर ज्ञात है, तो वे कथित अपराधी/अपराधियों की जाति/जन जाति को भी जाहिर कर सकते हैं। संघर्षशील और अपराधियों के समुदाय सम्बंधित तथ्यों की मौजूदगी के आधार पर पुलिस अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज कर सकती है।

17. क्या अपराध की रिपोर्ट करने के इच्छुक मानसिक या शारीरिक रूप से (अस्थाई या स्थाई) विकलांग संघर्षशील की सहायता के लिए पुलिस को विशेष कदम उठाने पड़ते हैं?

हां, यौन अपराध के मामले में महिला संघर्षशील के लिए कुछ निश्चित अपराधों में कानून विशेष कदम उठाने को आवश्यक बनाता है। एक बार जब पुलिस को सूचित कर दिया जाता है कि कोई विकलांग संघर्षशील शिकायत करना चाहती है तो पुलिस को उसके आवास या उसकी पसंद के स्थान पर किसी व्याख्याकार/विशेष शिक्षक की मौजूदगी में शिकायत रिकॉर्ड करना होता है। इसकी वीडियोग्राफी अवश्य की जानी चाहिए।

पुलिस के लिए यह भी आवश्यक है कि जितनी जल्दी सम्भव हो किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उसका बयान रिकॉर्ड कराए[14]।

भाग C

शिकायतों और प्रथम सूचना रिपोर्टों का पंजीकरण

18. प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है?

जैसे ही पीड़ित/संघर्षशील से पुलिस को अपराध की शिकायत प्राप्त होती है तो उन्हें शिकायत दर्ज करनी होती है जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) कहा जाता है। यह उनका कानूनी कर्तव्य है।

एफआईआर पुलिस द्वारा तैयार किया गया लिखित दस्तावेज़ है। अपराध या अपराधों के घटित होने के बारे में यह सूचना रिपोर्ट होती है जो पहली बार पुलिस तक पहुंचती है और दर्ज की जाती है जब कोई व्यक्ति उन्हें अपराध की सूचना देता है। पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होने के बाद ही पुलिस अपनी विवेचना शुरू कर सकती है। कानून प्रक्रिया को गति देने के लिए पुलिस द्वारा एफआईआर का पंजीकरण पहला कदम होता है।

19. क्या पुलिस अपराध की शिकायत प्राप्त करने के बाद एफआईआर दर्ज न करने का चयन कर सकती है?

नहीं, अगर शिकायत में संज्ञेय अपराध के कारित होने का आरोप लगाया जाता है तो उन्हें तुरंत एफआईआर दर्ज करना चाहिए। कानून में सभी प्रकार के अपराध को गंभीर (संज्ञेय) या कम गंभीर (असंज्ञेय) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभी यौन अपराध संज्ञेय अपराध हैं।

अपराध प्रक्रिया संहिता (CrPC) एक महत्वपूर्ण कानून है जो प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है जिसका आपराधिक मामलों की कार्यवाहियों में पुलिस और न्यायालय को पालन करना होता है। जब बात पुलिस द्वारा आपराधिक मामलों के पंजीकरण और विवेचना की आती है तो सीआरपीसी, ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद जिससे संज्ञेय अपराध घटित होना जाहिर होता है, पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना बाध्यकारी बनाती है[15]। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इससे संज्ञेय अपराध का विवरण मिलता है तो पुलिस यह सवाल भी नहीं कर सकती कि सूचना सच्ची है या नहीं। पुलिस को वह लिखना है जो सूचना देने वाला व्यक्ति उन्हें बता रहा है और उसी आधार पर एफआईआर दर्ज करनी है[16]।

उपर्युक्त सभी बातें बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में भी लागू होती हैं। इसके अतिरिक्त, POCSO अधिनियम की धारा 19 कहती है कि एक बार जब पुलिस यौन अपराध के बारे में शिकायत या सूचना प्राप्त कर लेती है तो उन्हें इसे लिखित में रिकॉर्ड करना है। अधिनियम का नियम 4 एसजेपीयू या स्थानीय

पुलिस, जिसने शिकायत या सूचना प्राप्त की, “अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के प्रावधानों के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट रिकॉर्ड और दर्ज करने की कार्यवाही शुरू करे”[17]।

20. क्या पुलिस यौन अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच कर सकती है?

> **चूंकि आईपीसी और पॉक्सो में सभी यौन अपराध संज्ञेय अपराध है, पुलिस ये नहीं कह सकती कि एफआईआर दर्ज करने से पहले उन्हें प्रथम सूचना को प्रमाणित करने के लिए प्राथमिक जांच करना है।**

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच की अनुमति केवल मामलों की सीमित श्रेणी के लिए है (इसमें वैवाहिक विवाद, व्यापारिक अपराध, चिकित्सीय लापरवाही के मामले, भ्रष्टाचार के मामले, या ऐसे मामले जहां लगता है कि बहुत विलम्ब हो चुका है शामिल हैं)। यहां तक कि इन मामलों में भी प्राथमिक जांच में केवल इस बात की पड़ताल की जा सकती है कि क्या यह संज्ञेय अपराध है, प्राप्त सूचना को प्रमाणित करना नहीं[18]। बाकी सभी मामलों में, पुलिस को प्राथमिक जांच करने से रोका गया है।

अगर पुलिस किसी संघर्षशील से कहती है कि यौन अपराध का मामला दर्ज करने से पहले उन्हें प्राथमिक जांच करनी है, तो वे पुलिस को यह कहते हुए जवाब दे सकते हैं कि यह **ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार** मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत गैर कानूनी है।

21. एफआईआर में क्या शामिल होना चाहिए?

एफआईआर में तथ्यों और सूचनाओं को उसी तरह शामिल होना चाहिए जैसा आप जानते हैं या उन्हें आपको बताया गया है। जो सूचना आप देते हैं पुलिस उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती है।

कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जिन्हें आपको पुलिस को बताने की ज़रूरत है ताकि एफआईआर में उनको स्थान मिले। इसमें शामिल हैं:

- **तिथि, समय और स्थान** जहां यौन अपराध हुआ है
- शिकायतकर्ता के रूप में **आपका नाम, पूरा पता और फोन नम्बर**

- अपने सर्वोत्तम स्मरण की हद तक **घटना के वास्तविक तथ्य** जिस तरह से वे घटित हुए हैं; जिसमें अपराध के कारित होने के तरीके का विवरण शामिल है [उदाहरण स्वरूप, लगने वाली शारीरिक चोटें या प्रयुक्त हथियार]

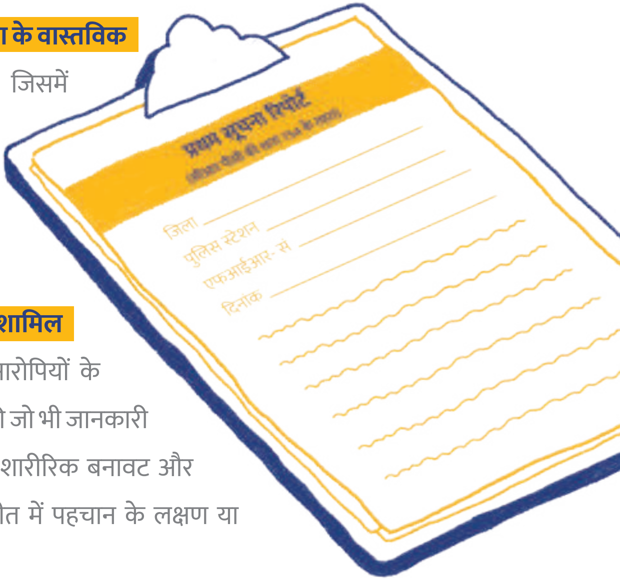

- **नाम, सम्पर्क का ब्योरा, घटना में शामिल व्यक्तियों का विवरण,** अगर आप आरोपियों के नाम नहीं जानते हैं तो उनकी पहचान की जो भी जानकारी दे सकते हैं जैसे लिंग, लगभग आयु, शारीरिक बनावट और लम्बाई या उनके शरीर पर या बातचीत में पहचान के लक्षण या चिन्ह
- **आरोपी के साथ संघर्षशील का सम्बंध,** अगर कोई है
- अगर आवर्ती है, **यौन हमले की घटनाओं की संख्या**
- अपराध की तारीख से **रिपोर्ट करने में देरी के कारण** (अगर प्रायोज्य है)

अगर प्रासंगिक है, मामला और जो कुछ घटित हुआ है उसके आधार पर आप पुलिस को एफआईआर में रिकॉर्ड करने के लिए निम्न प्रकार की भी सूचनाएं भी दे सकते हैं। सम्पूर्ण विवरण देने से सहायता मिल सकती है।

उदाहरण स्वरूप अगर :

- ताकत का इस्तेमाल करते हुए **नग्न करने या स्पर्श करने का प्रयास** किया गया था
- **कामुक टिप्पणियां** और/या **कामी मांग** की गई थी
- आरोपी आपकी **गतिविधियों का पीछा** करता था
- आरोपी द्वारा कोई **वीडियो या कामी प्रकृति की वस्तु दिखाई या भेजी** गई थी
- बंदूक या किसी अन्य प्रकार के हथियार से **धमकियां दी गई** थीं
- **मादक पदार्थ या किसी अन्य प्रकार का उत्प्रेरण ज़बरदस्ती दिया** गया था
- आरोपी ने **हमले की वीडियोग्राफी** की थी
- आरोपी ने हमले की रिपोर्ट करने की स्थिति में **वीडियो को प्रसारित करने की धमकी दी** थी

22. एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को किन प्रक्रियाओं का पालन करना होता है?

सीआरपीसी की धारा 154 उन प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध करती है जिनका एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को पालन करना होता है। यह हैं:

1

अगर कोई महिला संघर्षशील अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए स्वयं पुलिस स्टेशन जाती है तो किसी महिला पुलिस अधिकारी को सूचना रिकॉर्ड करना और शिकायत दर्ज करना चाहिए।

2

अगर आप मौखिक सूचना देते हैं तो पुलिस अधिकारी को चाहिए कि वह आप से सूचना बताने के लिए कहे ताकि उसे सादा और साधारण भाषा में जहां तक सम्भव हो आपके अपने शब्दों से निकटतम लिखे।

3

सूचना देने वाले या शिकायत करने वाले व्यक्ति की हैसियत से यह आपका अधिकार है कि पुलिस द्वारा रिकॉर्ड की गई जानकारी को पढ़कर सुनाने की मांग करें।

4 एक बार एफआईआर तैयार हो जाती है तो सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर अवश्य किए जाने चाहिए। आपको उस पर तभी हस्ताक्षर करने चाहिए जब निश्चित हो जाए कि रिकॉर्ड की गई जानकारी आपके द्वारा दिए गए विवरण से मेल खाती है। याद रखें कि जो कुछ आप जानते हैं एफआईआर में उसे अवश्य जाहिर होना चाहिए।

जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते उन्हें, संतुष्ट होने के बाद कि यह सही रिकॉर्ड की गई है, एफआईआर पर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना चाहिए।

5

एफआईआर की एक प्रति तुरंत और निःशुल्क पाना आपका अधिकार है। अगर पुलिस इसे आपको नहीं देती है तो हमेशा एफआईआर की प्रति की मांग करें।

6

पुलिस को एफआईआर की तारीख और विषय को पुलिस स्टेशन डायरी में अवश्य रिकॉर्ड करना चाहिए।

23. क्या पॉक्सो अधिनियम और नियमों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने के लिए अतिरिक्त प्रक्रियाओं का पालन करना होता है?

हां, किसी बाल संघर्षशील के खिलाफ यौन अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करते समय सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत सभी प्रक्रियाओं का पालन करना होता है, पॉक्सो अधिनियम और नियम बाल संघर्षशील के लिए कुछ और सहायता बढ़ा देते हैं।

अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, जैसे ही एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस को यौन अपराध की शिकायत या सूचना प्राप्त होती है, उन्हें करना होता है:

- इसे प्रवेश संख्या देना और लिखित में रखना
- आपको पढ़कर सुनाना
- एसजेपीयू द्वारा किसी रजिस्टर या बही में या पुलिस स्टेशन डायरी में रिकॉर्ड करना

जब कोई बाल संघर्षशील रिपोर्ट कर रहा हो तो पुलिस को एफआईआर साधारण भाषा में लिखना होता है ताकि सुनिश्चित हो कि बच्चा विषय वस्तु को समझ सके।

अगर बच्चा उस भाषा को नहीं समझ पाता है जिसमें एफआईआर लिखी जा रही है तो पुलिस को कोई भाषा अनुवादक या व्याख्याकार उपलब्ध कराना है।

एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस अफसर को आप से निम्नलिखित साझा करना चाहिए[19]:

- उसका नाम और पद
- उसका पता और फोन नम्बर
- उसकी निगरानी करने वाले अधिकारी का नाम, पद और सम्पर्क का विवरण

एफआईआर दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर स्थानीय पुलिस या एसजेपीयू को प्राथमिक मूल्यांकन रिपोर्ट दर्ज करना होता है (देखें संलग्नक 1) और उसे विशेष निकाय को भेजना होता है जो उन बच्चों की देखभाल करता है जिन्हें देखभाल संरक्षण की आवश्यकता होती। इस निकाय को बाल कल्याण समिति कहा जाता है[20]।

24. क्या संघर्षशील को पंजीकरण के समय सहयोगी व्यक्तियों से सहायता लेने का अधिकार है?

पॉक्सो अधिनियम बाल संघर्षशील को सहयोगी व्यक्तियों से सहायता लेने का अधिकार देता है[21]। वे गैर सरकारी संगठन, पेशेवर, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य या बाल विकास में विशेषज्ञ हो सकते हैं। प्रत्येक राज्य सरकार को बाल संघर्षशील की सहयोगी व्यक्तियों तक पहुंच के लिए दिशा निर्देश तैयार करना चाहिए। पंजीकरण के समय पुलिस को बालक या उनके अभिभावक को परामर्श जैसी समर्थन सेवाओं की उपलब्धता के बारे में बताना चाहिए और आवश्यक समर्थन सेवाओं से सम्पर्क बनाने में उनकी मदद के लिए कदम उठाना चाहिए[22]।

वयस्क संघर्षशील को जिस किसी की भी सहायता या सहयोग की आवश्यकता हो, ले सकते हैं। लेकिन उन्हें स्वयं उनकी सहायता प्राप्त करनी है। कुछ स्थानों पर, जैसे, मिसाल के तौर पर दिल्ली[23], पंजीकरण के समय बलात्कार के संघर्षशील को परामर्श सेवाएं प्रदान करनी होती हैं।

ओएससी में पुलिस सुविधा अधिकारी

प्रत्येक ओएससी में एक पुलिस सुविधा अधिकारी (PFO) होता है जिसे खास तौर से संघर्षशील के सहयोग के लिए पुलिस मामलों को सम्बोधित करने के लिए काम करना होता है। अगर कोई संघर्षशील शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने में असमर्थ है तो पीएफओ यह सुनिश्चित करने में सहायता कर सकता है कि उसे विस्तार से बता कर और उसकी सहमति के बाद ऐसा उसके घर/ओएससी/ अस्पताल से किया जाए[24]।

25. क्या संघर्षशील को पंजीकरण के समय वकील रखने का अधिकार है?

हां,

दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमन्स बनाम भारत संघ और अन्य[25] में सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के एक निर्णय में निर्देशित किया था कि यौन हमलों के संघर्षशील (खासकर बलात्कार के संघर्षशील के संदर्भ में) को पंजीकरण के समय, जब पूछताछ हो रही हो उससे कोई सवाल पूछने से पहले, किसी वकील से मिलने में अवश्य समर्थ

होना चाहिए। पुलिस इस अधिकार के बारे में संघर्षशील को बताने और उसे लिखित में रखने की पाबंद है कि संघर्षशील को जानकारी दी गई थी। संघर्षशील के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन को अधिवक्ताओं की एक सूची उपलब्ध रखनी चाहिए ताकि जिनका कोई वकील नहीं हैं वे उनसे सम्पर्क कर सकें।

यदि सम्भव हो, संघर्षशील किसी विधिक एनजीओ से सम्पर्क कर सकता है और उनसे किसी निजी वकील या ऐसे वकील के लिए कह सकता है जिसकी फीस वहन योग्य हो[26]।

महिला और बाल संघर्षशील और अनुसूचित जाति या जन जाति के सदस्यों को, अगर वे वकील का खर्च वहन नहीं कर सकते, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार है[27]।

पॉक्सो अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत बाल संघर्षशील या उसके परिवार या अभिभावक को अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार है। अगर वे वकील का खर्च वहन नहीं कर सकते तो वे विधिक सेवा प्राधिकरण से अपने लिए मुफ्त में वकील नियुक्त करने के लिए सम्पर्क कर सकते हैं। पुलिस का कर्तव्य है कि बच्चे को और/ या उसके माता–पिता को किसी वकील द्वारा प्रतिनिधित्व और कानूनी परामर्श के बच्चे के अधिकार के बारे में सूचित करे[28]।

26. क्या पुलिस आपकी शिकायत को झूठी शिकायत कह कर अस्वीकार कर सकती है?

नहीं, पुलिस यौन अपराध की शिकायत को गलत नहीं कह सकती।

अगर इससे यौन अपराध के कारित होने का संकेत मिलता है तो वे सूचना / शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता पर सवाल भी नहीं कर सकते। पुलिस को शिकायत को एफआईआर के रूप में दर्ज करना है। अगर पुलिस स्टेशन में अधिकारी इसे झूठी शिकायत कहते हैं तो संघर्षशील को जिला पुलिस प्रमुख से शिकायत करना चाहिए।

27. क्या पुलिस संघर्षशील को शिकायत वापस लेने के लिए कह सकती है?

नहीं, पुलिस किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप या “मध्यस्थता” नहीं कर सकती या संघर्षशील से समझौता करने को नहीं कह सकती। अगर वे ऐसा करते हैं तो वे अपने कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं। अगर ऐसा होता

है तो संघर्षशील को जिला पुलिस प्रमुख से शिकायत करनी चाहिए।

28. क्या पुलिस संघर्षशील से उनकी शिकायत में परिवर्तन करा सकती है?

नहीं, पुलिस को, मौखिक या लिखित, जिस तरह से सूचना दी जाती है उसी तरह रिकॉर्ड करना है। वे किसी सूचना को बदल या कमज़ोर नहीं कर सकते।

29. क्या पुलिस स्टेशन में पुलिस आप से प्रतीक्षा करा सकती है?

वे आपको केवल उसी समय प्रतीक्षा करा सकते हैं अगर यह वैध कारण और उचित समय के लिए है, जैसे कोई महिला पुलिस अधिकारी पंजीकरण की प्रक्रिया में संघर्षशील की सहायता करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए रास्ते में है या अगर वकील या अनुवादक पहुंचने वाले है। पुलिस का कर्तव्य है कि उस समय एफआईआर पंजीकृत करना सुनिश्चित करे जब आपके दिमाग में सूचना साफ और ताज़ा है और ठीक–ठीक रिकॉर्ड की जा सकती है। उन्हें बिना किसी स्पष्टीकरण या कारण के किसी को निरंतर घंटों तक इंतज़ार नहीं कराना चाहिए।

30. क्या पुलिस के कहने पर आपको कभी भी सादे कागज़ पर हस्ताक्षर करना चाहिए?

कभी नहीं, किसी से सादे कागज़ पर हस्ताक्षर कराना पुलिस के लिए गैर कानूनी है, खासकर अगर वे धमकी देते हैं या आपको मजबूर करते हैं। स्मरण रहे कि आप फाइनल एफआईआर पर केवल उसी समय हस्ताक्षर करें जब आप संतुष्ट हों कि जो कुछ आपने पुलिस को बताया है उन सूचनाओं और तथ्यों को यह ठीक–ठीक प्रतिनिधित्व करती है। अगर पुलिस आप से सादे कागज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए कहती है तो आपको उससे एकदम इनकार कर देना चाहिए और जिला मुखिया से शिकायत करनी चाहिए।

भाग D

गैर पंजीकरण के लिए उपचार

31. अगर पुलिस स्टेशन में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आप क्या कर सकते हैं?

पुलिस के लिए यौन अपराध मामले में एफआईआर दर्ज करने में विफल रहना गैर कानूनी है।

पुलिस के लिए यौन अपराध मामले में एफआईआर दर्ज करने में विफल रहना गैर कानूनी है। यह यौन अपराध के सभी मामलों में लागू होता है। अगर ऐसा होता है तो संघर्षशील को एफआईआर दर्ज कराने में समर्थ बनाने के लिए दो स्तर पर उपचार उपलब्ध है। यह सीआरपीसी के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

1

जिला पुलिस अधीक्षक (जिला पुलिस प्रमुख) को लिखित शिकायत भेजें। एसपी प्रभारी पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है[29]। अगर आप नगरीय क्षेत्र में हैं तो आप लिखित शिकायत पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को भेज सकते हैं जो नगरीय क्षेत्रों में जिला पुलिस प्रमुख होता है।

2

क्षेत्र के न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास धारा 156(3), सीआरपीसी[30], के अतंर्गत न्यायालय से यह मांग करते हुए कि वह पुलिस को शिकायत दर्ज करने और विवेचना शुरू करने का आदेश पारित करे, अर्जी दाखिल कर सकते हैं।

किसी वकील या एनजीओ के सहयोगी व्यक्ति की सहायता लेना संघर्षशील के लिए काम आसान बना सकता है, खासकर एसपी/डीसीपी के भेजी जाने वाली शिकायत को लिखने में। मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने के लिए किसी वकील की ज़रूरत होगी।

32. क्या आप अन्य प्राधिकरणों में शिकायत करा सकते हैं?

हां, आप राष्ट्रीय/राज्य मानवाधिकार आयोग; राष्ट्रीय/ राज्य महिला आयोग; या ओएससी में लिखित शिकायत भेज सकते हैं।

अगर आपके करीब में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर है तो आप उससे सम्पर्क कर सकते हैं। पीएफओ आपकी शिकायत दर्ज करने और जिला पुलिस प्रमुख से आगे की कार्यवाही करने में सहायता कर सकता है।

33. जिला एसपी या मजिस्ट्रेट को शिकायत में आप क्या जोड़ सकते हैं जो उपयोगी हो?

निम्नलिखित सूचना के शामिल होने से सहायता मिलेगी।

- **शिकायतकर्ता का संक्षिप्त विवरण और मूल शिकायत** (अगर सम्भव हो तो लिखित शिकायत की मूल प्रति; और/या पुलिस स्टेशन से प्राप्त कोई स्वीकार पत्र संलग्न करें)
- **पुलिस के पास जिस तारीख को रिपोर्ट करने गए थे उसका विवरण दें;** अगर कई बार गए हैं तो हर बार का विवरण दें
- **पंजीकरण के पहले प्रयास से जो समय व्यर्थ गया उसे स्पष्ट करें**
  - स्पष्ट करें कि शिकायतकर्ता/संघर्षशील से कहा गया था कि ऐसा करने से पहले **प्राथमिक जांच की जानी है** और हवाला दें कि यह ललिता कुमारी निर्णय[31] की अवहेलना करता है।
  - अगर पंजीकरण के पहले प्रयास के बाद से **संघर्षशील को धमकियां दी गई हैं या बार-बार हमले का निशाना बनाया गया** है तो उसे स्पष्ट करें।
  - उस **पुलिस अफसर का विवरण** जिससे बात हुई/जिसने इनकार किया– नाम, पद, पुलिस स्टेशन, जिला
- **परिस्थितियों /दिए गए कारणों के संक्षिप्त विवरण**
  - पुलिस द्वारा की गई कोई **अपमानजनक/आकर्मक टिप्पणियां**

न्यायिक मजिस्ट्रेट को किए जाने वाले आवेदन में एसपी/डीसीपी को शिकायत की एक प्रति संलग्न करें, दिए गए जवाब और मुलाकातों की संख्या स्पष्ट करें और अगर एसपी/डीसीपी ने एफआईआर दर्ज करने के बजाय जांच का आदेश दिया तो उसका उल्लेख करें।

एसपी और मजिस्ट्रेट दोनों से तत्काल एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन प्रभारी को आदेशित करने का आग्रह करें।

34. क्या एसपी/डीसीपी एफआईआर के पंजीकरण के बजाय जांच का आदेश दे सकते हैं?

अगर एसीपी/डीएसपी को दी गई शिकायत से जाहिर होता है कि यौन अपराध की घटना हुई है तो एसपी पुलिस स्टेशन प्रभारी को एफआईआर का पंजीकरण सुनिश्चित करने का आदेश देने के लिए बाध्य है। अगर एसपी लिखित आदेश या निर्देश देता है तो सबसे बेहतर है।

35. एसपी/डीसीपी को आप शिकायत कैसे भेजें?

शिकायत का लिखित होना आवश्यक है। आप इसे एसपी/डीसीपी कार्यालय को पंजीकृत डाक द्वारा (सुपुर्दगी रसीद के साथ) भेज सकते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से एसपी/डीसीपी के पास ले जाना सम्भव हो तो इससे निपटारा शीघ्र हो सकता है। जिला पुलिस प्रमुख होने के नाते एसपी/डीसीपी व्यस्त होते हैं और अक्सर अपने कार्यालय में उपलब्ध नहीं होते। प्रतीक्षा से बचने के लिए बेहतर है कि एसपी/डीएसपी के पास मुलाकात के समय या उनकी उपलब्धता का पता लगाने के बाद जाएं।

36. आप क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से कैसे सम्पर्क करें?

आपको सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत प्रार्थनापत्र लिखने के लिए कोई वकील करना होगा और उसे स्थानीय मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सभी सहायक दस्तावेज़ों के साथ दाखिल करना होगा। आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से वकील की सेवा प्राप्त सकते हैं या अगर आपको आवश्यकता है तो किसी गैर सरकारी संगठन की सहायता से निजी वकील कर सकते हैं। अदालत सुनवाई करेगी और वहां आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए आपके वकील को होना चाहिए। न्यायालय पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और विवेचना आरंभ करने का आदेश कर सकता है।

37. अगर पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्यवाही नहीं करती है तो वह क्या कर सकता है?

अगर पुलिस न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्यवाही नहीं करती है तो आपका वकील न्यायालय को पुलिस से स्थिति रिपोर्ट और कार्रवाई रिपोर्ट मांगने को कह सकता है जिससे उन पर अनुपालन का दबाव पड़ सकता है।

भाग E

गैर पंजीकरण के लिए पुलिस को जवाबदेह बनाना

38. क्या आपकी शिकायत को एफआईआर के रूप में दर्ज करने में विफल रहने पर आप पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं?

> **यौन अपराधों में एफआईआर दर्ज करना पुलिस के लिए अनिवार्य है। ऐसा करने में विफल रहना आईपीसी, पॉक्सो और अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत गैर कानूनी है। वास्तव में, यह अपराध है।**

इसका मतलब है कि अगर आप चाहें तो ऐसे पुलिस अधिकारी या अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में विफलता के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं:

- **आईपीसी के अंतर्गत, यौन अपराधों को दर्ज करने में विफल रहने पर** आईपीसी की धारा 166A (C) के अंतर्गत शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- **पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत, किसी बच्चे के खिलाफ यौन अपराध दर्ज करने में विफल रहने पर** आप धारा 21(1) के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं
- अगर आप **अनुसूचित जाति या जन जाति से आते हैं और जिस पुलिस अधिकारी के खिलाफ आप शिकायत करना चाहते हैं वह एससी या एसटी नहीं है तो** अत्याचार अधिनियम के तहत आप धारा 4 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

39. आईपीसी की धारा 166ए(C) क्या कहती है?

धारा कहती है कि नीचे दिए गए विशिष्ट अपराधों की शिकायत दर्ज करने में विफल रहने पर लोक सेवक को दो साल की कैद और जुर्माना की सज़ा दी जा सकती है। ध्यान दें कि धारा 166A (c) आईपीसी के अंतर्गत सभी यौन अपराधों को समाविष्ट नहीं करती है। यह बॉक्स इसमें समाविष्ट अपराधों की सटीक जानकारी देता है।

166A: कानून के अंतर्गत निर्देश की अवमानना करने वाला लोक सेवक – जो कोई भी लोक सेवक होते हुए,

(C) अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 154 की उप–धारा (1) कें अंतर्गत उसे दी गई जानकारी को रिकॉर्ड करने में विफल रहता है तो संज्ञेय अपराध दंडनीय अंतर्गत धाराओं के

326A	एसिड के प्रयोग से जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना
326B	जानबूझकर एसिड फेकना या फेकने का प्रयास करना
354	उसकी लोक लाज को भंग करने की नीयत से हमला या आपराधिक शक्ति का प्रयोग करना
370	मानव तस्करी
370A	तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण
376	बलात्कार
376A	हत्या करना या उसके नतीजे में स्थाई निष्क्रियता की हालत बनना
376B	अलगाव के दौरान अपनी पत्नी के साथ पति द्वारा संभोग करना
376C	अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा संभोग
376D	सामूहिक बलात्कार
376E	बार बार अपराध करने वाले (अंतर्गत धाराएं 376, 376A, 376D)
509	महिला की लोकलाज को अपमानित करने की बात करना, इशारा करना या कार्य करना

सश्रम कारावास की सज़ा दी जाएगी जो छह महीने से कम नहीं होगी परंतु जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माना अदा करने का भागी होगा।

40. पॉक्सो अधिनियम की धारा 21(1) क्या कहती है?

यह धारा 19(2) के अंतर्गत पुलिस के कर्तव्य का उल्लेख करती है कि जैसे ही सूचना प्राप्त होती है कि किसी बच्चे के खिलाफ यौन अपराध कारित किया गया है एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस के लिए तत्काल एफआईआर दर्ज करना बाध्यकारी है। यह कहती है कि जो कोई भी अपराध को धारा 19(2) के अंतर्गत किसी अपराध को रिकॉर्ड करने में विफल रहता है उसे छह महीने कैद या जुर्माना या दोनों सज़ा दी जा सकती है।

> **21. मामले को रिपोर्ट या रिकॉर्ड करने में विफल रहने की सज़ा – (1) कोई व्यक्ति जो धारा 19 की उप–धारा (1) या धारा 20 के अंतर्गत किसी अपराध के कारित होने की रिपोर्ट करने में विफल रहता है या धारा 19 की उप–धारा (2) के अंतर्गत ऐसे अपराध को रिकॉर्ड करने में विफल रहता है उसे दोनों विवरण के लिए दंड दिया जाएगा जो छह महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है।**

41. अत्याचार अधिनियम की धारा 4 क्या कहती है?

इस कानून में तहत विशिष्ट सेवकों (जिसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं) को जिन कर्तव्यों का पालन करना है धारा 4 उन्हें सूचीबद्ध करती है। इन कर्तव्यों में कुछ विशिष्ट कर्तव्य शामिल हैं जो उस प्रक्रिया का भाग हैं जिसका एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को पालन करना होता है:

- अगर आप मौखिक सूचना देते हैं तो **पुलिस को इसे लिखना और आपके हस्ताक्षर लेने से पहले आपको पढ़कर सुनाना**
- एफआईआर दर्ज करना और **सुनिश्चित करना कि अत्याचार अधिनियम की सभी उचित धाराएं शामिल हैं**
- **जैसे ही एफआईआर दर्ज हो जाती है, आपको एक प्रति देना**

यह आगे कहता है कि अगर जांच के बाद पता चलता है कि लोक सेवक (जिसका सम्बंध अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से नहीं है) ने इन कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया है उसे छह महीने से एक साल तक की जेल की सज़ा दी जा सकती है।

42. किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं?

अगर संघर्षशील यह कदम उठाना चाहता है तो इसका मतलब होगा सम्बंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना। किसी वकील और किसी एनजीओ के भी सहयोग से ऐसा करना सबसे अच्छा होगा। अगर आप पुलिस अधिकारी या अधिकारियों के नाम और पद के बारे में जानते हैं जिसके सुपुर्द एफआईआर दर्ज करनी थी और ऐसा करने में विफल रहा तो इससे आपके मामले में सहायता मिलेगी। आपकी मूल शिकायत की एक प्रति और पुलिस से मिली रसीद आपके काग़ज़ी

काम को मजबूत बनाएंगे। अगर आपने एसपी/डीसीपी से शिकायत की और उसने हस्तक्षेप नहीं किया या एफआईआर दर्ज होने को सुनिश्चित करने में विफल रहा तो आप अपनी शिकायत में उसे भी नामित कर सकते हैं।

आईपीसी की धारा 166(c)[32] के अंतर्गत महिला संघर्षशील के मामले में पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर के पीएफओ भी सहायता कर सकते हैं।

43. क्या पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने में जोखिम हैं?

यह जानना महत्वपूर्ण है कि अगर आप यह कदम उठाना चाहते हैं तो इसमें जोखिम हो सकता है। पुलिस अधिकारी आपको धमकाने और डराने के लिए अपनी स्थिति और शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। यौन अपराध मामले की विवेचना करने में शिथिलता लाकर वे अपने खिलाफ आपकी शिकायत वापस लेने के लिए राज़ी करने का प्रयास कर सकते हैं। याद रखें कि आपको कानूनी उपाय करने से रोकने के लिए किसी प्रकार की ताकत, धमकी या ज़बरदस्ती करना अवैध है।

आदर्श रूप में, पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा न हो और यह भी कि पुलिस के खिलाफ शिकायत से यौन अपराध मामले में विवेचना प्रभावित न हो। लेकिन हो सकता है कि इसमें शामिल अधिकारी एक दूसरे को बचाना चाहें खासकर अगर उनका सम्बंध एक ही पुलिस स्टेशन से हो।

संघर्षशील के लिए किसी भरोसे के वकील और/ या सहयोगी व्यक्ति से परामर्श करना महत्वपूर्ण होगा। एक अच्छी रणनीति यह होगी कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र में मजिस्ट्रेट के न्यायालय के संज्ञान में लाया जाए कि एफआईआर दर्ज करने में विलम्ब या इनकार के लिए पुलिस पर मुकदमा ज़रूर चलाना चाहिए। यह न्यायालय को अपनी पहल और निहित शक्तियों से शिकायत दर्ज करने का आदेश देने पर उभार सकती है। इस प्रकार, संघर्षशील मुख्य भूमिका से सुरक्षित दूरी बनाए रह सकता है। हालांकि, संघर्षशील से अब भी गवाह के तौर पर व्यवहार किया जा सकता है और विवेचना में भाग लेने को कहा जा सकता है।

समाप्ति नोट

1. यहां कुछ शब्दावलियों का प्रयोग यूएस स्थित नेशनल सेक्शुअल वायलेंस सेंटर द्वारा निम्नलिखित तथ्य पत्रक पर आधारित है। **https://www.nsvrc.org/sites/default/files/Publications NSVRC Factsheet What-is-sexual-violence 1.pdf**
2. विश्व स्वास्थ्य संगठन (2002), "वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन वायलेंस एंड हेल्थ" एटीनी जी क्रुग, लिंडा एल डहलबर्ग, जेम्स ए मर्सी, एंथनी बी ज्वी और राफैल लोजानो द्वारा सम्पादित, पेज 149। **https://www.whoint/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_en.pdf**
3. 18 साल से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभषित किया गया है, धारा 2(1)(d), पॉकसो अधिनियम
4. अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की पहली अनुसूची के भाग 2 के अनुसार, संतोष कुमार मंडल बनाम राज्य, ज़मानत आवेदन संख्या 1763/2016, दिल्ली हाईकोर्ट (28 सितंबर 2016) (2016) एसएससी ऑलाइन दिल्ली 5378 में पॉकसो के अंतर्गत अपराधों की प्रकृति की दिल्ल् हाईकोर्ट की व्याख्या को भी देखें जहां न्यायालय ने कहा, "इस प्रकार पॉकसो के अंतर्गत दंडनीय अपराध है जिसमें धारा 12 भी शामिल है संज्ञेय और गैर ज़मानती हैं"।
5. यह सभी परामर्श लिए गए हैं: लॉयर्स कलेक्टिव वूमन राइट्स इनिशिएटिव (2014), आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ संलग्न: यौन हिंसा के उत्तरजीवियों के लिए मार्गदर्शिका, पेज 9-10, **http://www.lawyerscollective.org/wp-content/uploads/2014/04/Dos-and-Donts.pdf**
6. नियम 4(2), द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज़ रूल्स 2020
7. गृह मंत्रालय भारत सरकार, परामर्श (2013), क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना एफआईआर का पंजीकरण, 10 मई: **https://www.mha.gov.in/sites/default/files/AdvisoryFIR-290513.pdf** रिसाई 7 अगस्त 2020
8. सीआरपी की धारा 357(c), - "पीड़ित का उपचार: सभी अस्पताल, सरकारी या निजी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी व्यक्ति द्वारा संचालित अस्पताल, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 326A, 376, 376A, 376B, 376C, 376D, या 376E के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध के पीड़ित को, तत्काल निःशुल्क प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसी घटना के बारे में तत्काल पुलिस को सूचित करेंगे"।
9. धारा 19(5), पॉकसो अधिनियम– "जहां विशेष बाल पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस संतुष्ट है कि जिस बालक के खिलाफ अपराध कारित किया गया है उसे चिकित्सीय देखभाल और उपचार की ज़रूरत है, तब यह कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करने के बाद, उसके लिए ऐसी देखभाल और उपचार का प्रबंध करेगी जिसमें रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर बालक को आश्रय गृह या निकटतम अस्पताल में दाखिल करना शामिल है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है"।
10. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, "वन स्टॉप क्राइसिस स्कीम: राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्यान्वयन मार्गदशिका", दिसम्बर 2017, पेज– 1-2: **https://wcd.nic.in/sites/default/files/OSC_G.pdf** 21 अगस्त 2018
11. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वन स्टॉप क्राइसिस निदेशिका 19 मार्च 2020; **https://wcd.nic.in/sites/default/files/683OSCDirectory-19.03.2020_0.pd**f 24 अगस्त 2020
12. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, "वन स्टॉप क्राइसिस स्कीम: राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्यान्वयन मार्गदशिका", दिसम्बर 2017, पेज– 4: **https://wcd.nic.in/sites/default/files/OSC_G.pd**f 21 अगस्त 2018

समाप्ति नोट

13. भारतीय दंड संहिता की यह धाराएं 354,354A, 354B, 354C, 354D, 376, 376A, 376B, 376C, 376D, 376E और 509 हैं।
14. धारा 154(1)(c), CrPC: "पुलिस अधिकारी धारा 164 के खंड (a) की उप–धारा (5) के अंतर्गत जितनी जल्दी सम्भव हो किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्ति का बयान रिकॉर्ड कराएगा"
15. धारा 154, CrPC
16. ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य एआईआर 2014, एससी 187
17. नियम 4(3) यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के नियम, 2020
18. ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य एआईआर 2014, एससी 187
19. नियम 4(1), यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा के नियम, 2020
20. नियम 4(13), यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा के नियम, 2020
21. धारा 39, पॉक्सो अधिनियम
22. नियम 4(13)(e), बच्चों की यौन अपराध से सुरक्षा के नियम, 2020
23. दिल्ली हाईकोर्ट के निम्नलिखित निर्णय का अवलोकन करें: दिल्ली महिला आयोग बनाम दिल्ली पुलिस 2009, एसएससी ऑनलाइन Del 1057
24. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय: "वन स्टॉप क्राइसिस योजना/ राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रबंधकों के लिए दिशा निर्देश लागू करना", दिसम्बर, 2017; पेज 7-8 **www://wcd.nic.in/sites/default/files/OSC G.pdf** 21 अगस्त 2020
25. 1995 एससीसी (1) 14
26. आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ जुड़ना: लॉयर्स कलेक्टिव द्वारा यौन हिंसा के उत्तरजीवियों के लिए मार्गदर्शिका, पेज 20
27. धारा 12(a) & (c), विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
28. नियम 4(3)(f), बच्चों की यौन अपराध से सुरक्षा के नियम, 2020
29. सीआरपीसी की धारा 154(3) कहती है: "पुलिस स्टेशन प्रभारी अधिकारी की ओर से उप–धारा (1) में संदर्भित सूचना को रिकॉर्ड करने से मना करने पर असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति ऐसी सूचना के सार तत्व को लिखित रूप में डाक के माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, अगर वह संतुष्ट होता है कि ऐसी जांच संज्ञेय अपराध के कारित होने को उजागर कर सकती है तो वह खुद मामले की जांच करेगा या अपने किसी मातहत पुलिस अफसर को जांच करने के लिए निर्देशित करेगा जैसा कि इस संहिता में प्रावधान किया गया और ऐसे अधिकारी को उस अपराध के सम्बंध में पुलिस स्टेशन प्रभारी अधिकारी की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।
30. धारा 156(3) कहती है: "धारा 190 के अंतर्गत शक्ति प्राप्त कोई भी मजिस्ट्रेट ऐसी जांच का आदेश पारित कर सकता है जैसा कि उपर्युक्त में उल्लिखित है।
31. ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य, एआईआर 2014 एससी 187
32. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय: "वन स्टॉप क्राइसि योजना/ राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रबंधकों के लिए दिशा निर्देश लागू करना", दिसम्बर, 2017; पेज 7 **https://wcd.nic.in/sites/default/files/OSC G.pdf** रिसाई 14 सितंबर, 2020

अनुबंध 1

प्राथमिक मूल्यांकन रिपोर्ट[1]

	मापदंड	टिप्पणी
1	पीड़ित की आयु	
2	अपराधी से बच्चे का सम्बंध	
3	दुर्व्यवहार का ढंग और अपराध की गंभीरता	
4	उपलब्ध विवरण और बच्चे को पहुंचने वाली मानसिक और शारीरिक क्षति/चोट की तीव्रता	
5	क्या बच्चा (शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक रूप से) विकलांग बना दिया गया है	
6	पीड़ित के मां–बाप की आर्थिक हालत, बच्चे के परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, बच्चे के मां–बाप का पेशा और परिवार की मासिक आय से सम्बंधित विवरण	
7	क्या वर्तमान घटना के कारण बच्चे का चिकित्सीय उपचार किया गया या किया जा रहा है या अपराध के कारण चिकित्सी उपचार की ज़रूरत है	
8	क्या अपराध के नतीजे में शिक्षा सम्बंधी अवसर की हानि हुई है जिसमें मानसिक आघात, शारीरिक चोट, चिकित्सीय उपचार, विवेचना और सुनवाई या अन्य कारण से स्कूल से गैर हाज़िरी शामिल हैं?	
9	क्या दुर्व्यवहार एक इकलौती घटना थी या दुर्व्यवहार लम्बे समय तक किया गया?	
10	क्या पीड़ित के माता–पिता किसी चिकित्सीय उपचार से गुज़र रहे हैं या स्वास्थ्य का कोई मसला है?	
11	अगर उपलब्ध हो तो बच्चे का आधार नम्बर	

दिनांक ....   **थानाध्यक्ष**

1. यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2020, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय **https://wcd.nic.in/sites/default/files/POCSO%20Rules%20merged.pdf** 10 नवंबर 2020 को देखा गया

सीएचआरआई के कार्यक्रम

सीएचआरआई राष्ट्रमंडल और इसके सदस्य देशों को मानवाधिकार व्यवहार, पारदर्शिता और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को शिखर स्तर तक ले जाने का प्रयास करता है। सीएचआरआई खासकर मानवाधिकार, न्याय तक पहुंच और सूचना तक पहुंच के मुद्दों पर रणनीतिक पहलकदमी और पैरोकारी पर काम करता है। इसके अनुसंधान, प्रकाशन, कार्यशालाएं, विश्लेषण, लामबंदी, प्रसार और परामर्श निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं:

न्याय तक पहुंच (ATJ)

* **पुलिस सुधार:** बहुत से देशों में पुलिस को नागरिकों के अधिकारों के रक्षक के बजाय राज्य के दमनकारी तंत्र के तौर पर देखा जाता है जिससे बड़े पैमाने पर अधिकारों का हनन और न्याय का खंडन होता है। सीएचआरआई व्यवस्थित तरीके से सुधार को बढ़ावा देता है ताकि पुलिस शासन की मर्जी थोपने के बजाए कानून की हुक्मरानी के समर्थक के बतौर काम करे। भारत और दक्षिण एशिया में सीएचआरआई के कार्यक्रमों का उद्देश्य पुलिस सुधारों के लिए जनता का सहयोग प्राप्त करना और नागरिक समाज को उन मुद्दों से जोड़कर मज़बूती प्रदान करना है। तंज़ानिया और घाना में सीएचआरआई पुलिस की जवाबदेही और नागरिक वर्ग से उसके जुड़ाव का परीक्षण करता है।

* **जेल सुधार:** सीएचआरआई पारंपरिक रूप से जेलों की अपारदर्शी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और कुप्रथाओं को बेनकाब करने का काम करता है जिसके नतीजे में (मुकदमों की) भीड़, अस्वीकार्य रूप से परीक्षण पूर्व लम्बी कैद़ और जेल में कैद रखने जैसी व्यवस्था की विफलताओं को उजागर करने के अलावा यह कानूनी सहायता के लिए हस्तक्षेप और पैरोकारी में शामिल होता है। इन क्षेत्रों में परिवर्तन जेल के प्रशासन और न्याय की स्थिति में प्रगति की चिंगारी भड़का सकते हैं।

सूचना तक पहुंच

* **सूचना का अधिकार:** सूचना तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए सीएचआरआई की विशेषज्ञता को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। यह देशों को प्रभावी सूचना के अधिकार कानून (RTI) पारित और लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कानून के विकास में यह नियमित रूप से सहायता करता है और सूचना के अधिकार कानून और उसके व्यावहारिक रूप को बढ़ावा देने में भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बंग्लादेश, घाना और कीनिया जैसे देशों में खासतौर से कामयाब रहा है। घाना में, आरटीआई नागरिक समाज गठबंधन के सचिवालय के रूप में सीएचआरआई ने कानून पारित करने के लिए प्रयासों को संगठित किया, कामयाबी लम्बे संघर्ष के बाद 2019 में मिली। सीएचआरआई नियमित रूप से नए कानूनों की समीक्षा करता है और सबसे बेहतर पद्धति और जानकारी को सरकार तथा नागरिक समाज दोनों के संज्ञान में लाने का काम करता है, उस समय भी जब कानून का मसौदा तैयार किया जाता है और तब भी जब उसे पहली बार लागू किया जाता है। इसे विपरीत वातावरण और सांस्कृतिक रूप से विविध क्षेत्रों में काम करने का अनुभव है जो इसे नए सूचना अधिकार कानून बनाने के इच्छुक देशों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि लाने में सक्षम बनाता है।

*** साउथ एशिया मीडिया डिफेंडर्स नेटवर्क (SAMDEN):** सीएचआरआई ने दक्षिण एशिया में 'मीडियाकर्मियों पर बढ़ते हुए हमलों और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर दबाव' के मुद्दे को सम्बोधित करने के लिए मीडिया पेशेवरों का एक क्षेत्रीय नेटवर्क विकसित किया है। इस नेटवर्क, दक्षिण एशिया मीडिया रक्षकों के नेटवर्क (SAMDEN), का मानना है कि ऐसी स्वतंत्रता अविभाज्य है और वह कोई राजनीतिक सीमा नहीं जानती। भेदभाव और धमकियों का अनुभव रखने वाले मीडिया पेशेवरों के एक खास समूह द्वारा नियंत्रित, सैमडेन ने मीडिया पर दबाव, मीडिया की सिकुड़ती गुंजाइश और प्रेस की आज़ादी के मुद्दों को बेनकाब करने का दृष्टिकोण विकसित किया है। तालमेल का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र सैमडेन को आरटीआई आंदोलन और कार्यकर्ताओं से जोड़ना है।

अंतरराष्ट्रीय पैरोकारी और कार्यरचना

अपनी प्रमुख रिपोर्ट 'इज़ियर सेड दैन डन' के माध्यम से सीएचआरआई राष्ट्रमंडल सदस्य राज्यों के मानवाधिकार दायित्वों के अनुपालन की, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में, निगरानी करता है। यह मानवाधिकार चुनौतियों के इर्द गिर्द पैरोकारी करता है और रणनीतिक रूप से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, राष्ट्रमंडल सचिवालय, राष्ट्रमंडल मंत्री स्तरीय कार्यवाही समूह और मानवाधिकार एवं जन अधिकारों के लिए अफ्रीकी आयोग समेत क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ मिलकर काम करता है। वर्तमान रणनीतिक पहलकदमियों में एसडीजी 16 के उद्देश्यों, एसडीजी 8.7 के लिए पैरोकारी करना, राष्ट्रमंडल सदस्यों की निगरानी करना और उन्हें जवाबदेह बनाना और वैश्विक सामयिक समीक्षा शामिल है। हम मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा और नागरिक समाज के विस्तार की पैरोकारी और हिमायत करते हैं।

एसडीजी 8.7: दासता के समकालीन स्वरूप

2016 से सीएचआरआई ने राष्ट्रमंडल पर संयुक्त राष्ट्र कायमी विकास लक्ष्य (SDG) लक्ष्य 8.7, की प्राप्ति, बंधुआ मज़दूरी को समाप्त करने के लिए तत्काल रूप से प्रभावी कदम उठाने, आधुनिक दासता और मानव तस्करी को खत्म करने और बाल सैनिकों की भरती और प्रयोग समेत बाल मज़दूरी के अति कुरूप को मिटाने और उसको प्रतिबंधित करने और 2025 तक बाल मज़दूरी के हर स्वरूप को समाप्त करने के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए दबाव बनाया है। जूलाई 2019 में, सीएचआरआई ने राष्ट्रमंडल 8.7 नेटवर्क का शुभारंभ किया जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे उन गैर सरकारी संगठनों के बीच भागीदारी में सहयोग करता है जो राष्ट्रमंडल देशों में दासता के समकालीन स्वरूप को खत्म करने का साझा दृष्टिकोण रखते हैं। सभी पांच क्षेत्रों से करीब 60 गैर सरकारी संगठन की सदस्यता वाला नेटवर्क देश के विशिष्ट और विषयगत मुद्दों और बेहतर पद्धति के लिए सूचना साझा करने और सामूहिक पैरोकारी को शक्ति प्रदान करने वाले मंच के बतौर सेवा देता है।

यह गाइड यौन हिंसा के शिकार वयस्क और बाल संघर्षशील को शिकायतें रिपोर्ट कराने और पंजीकरण की प्रक्रिया में उनका मार्गदर्शन करने के लिए जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता करती है। अगर पहले उनकी शिकायतों को दर्ज करने से पुलिस स्टेशन में मना कर दिया जाता है तो यह उन्हें पंजीकृत कराने के उपायों की जानकारी देती है। यह उन कदमों की निशानदेही करती है जो कुछ निश्चित मामलों में विलम्ब या इनकार की हालत में पुलिस को जवाबदेह ठहराने के लिए उठाए जा सकते हैं।

Hanns Seidel Foundation

हंस सीडेल फाउंडेशन
4/6 सीरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया
नई दिल्ली 110 049, भारत.
टेलीफोन: +91 11 4168 0400
ई–मेल: delhi@hss.de
वेब: http://india.hss.de/

CHRI

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
55ए, तीसरा तल, सिद्धार्थ चैम्बर्स-1, कालू सराय, नई दिल्ली 110 017, भारत.
टेलीफोन: +91 11 43180200, **फैक्स:** +91 11 43180217, **ई-मेलः** info@humanrightsinitiative.org
www.humanrightsinitiative.org CHRI_INT